www.kewalsachtimes.com

जुलाई 2023

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT.-78

हैवानियत की हदें पार
मानवता हुई तारतार

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay पे Paytm

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

एम. वैंकैया नायडू
01 जुलाई 1949

अखिलेश यादव
01 जुलाई 1973

हरभजन सिंह
03 जुलाई 1980

स्व० रामविलास पासवान
05 जुलाई 1946

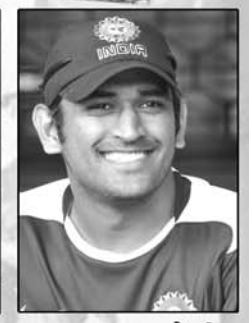

एम.एस. धोनी
07 जुलाई 1981

कैलास खेर
07 जुलाई 1973

सौरभ गांगुली
08 जुलाई 1972

सुखवीर सिंह बादल
9 जुलाई 1962

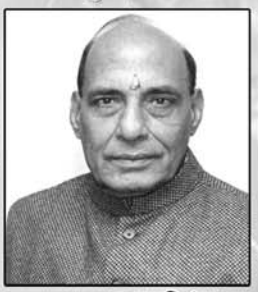

राजनाथ सिंह
10 जुलाई 1951

सुनिल गवास्कर
10 जुलाई 1949

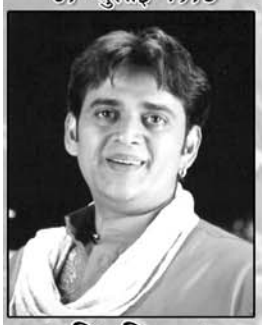

रवि किशन
17 जुलाई 1971

प्रियंका चोपड़ा
18 जुलाई 1982

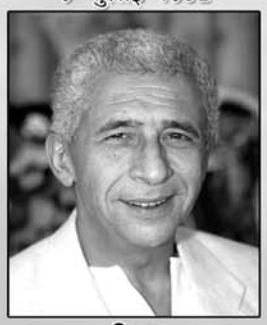

नसरूद्दीन शाह
20 जुलाई 1950

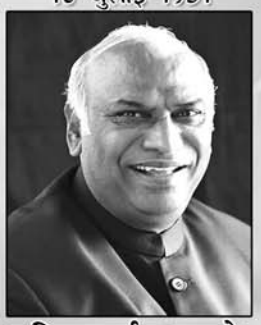

मल्लिकार्जुन खड़गे
21 जुलाई 1942

स्व० अनंत कुमार
22 जुलाई 1959

हिमेश रेशमिया
23 जुलाई 1973

पंकज आडवाणी
24 जुलाई 1985

उद्धव ठाकरे
27 जुलाई 1960

संजय दत्त
29 जुलाई 1959

सोनू निगम
30 जुलाई 1973

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

Bihar में Jail में खेल को समझने पर आपको गुंडों से ज्यादा नफरत जेल Superintendent एवं Jailer और जेल के बड़ा बाबू से हो जायेगा। किसी भी गलत आचरण या Crime करने वाले को सुधरने की एक जगह है Jail जहां Faimly से दूर रहने के वजह से सच्चाई का एहसास होता है लेकिन जब Jail, ही Corruption, Crime करने की सीख मिलने लगे तो वह आदर्श कारा Crime का सेंटर बन जाता है। जेल में कोई चेंक बाउंस होने की वजह से, कोई धोखाधड़ी के आरोप में, कोई परीक्षा में किसी की जगह पर बैठने की वजह से कोई बिना टिकट यात्रा की वजह से, कोई चोरी-डकैती की वजह से तो कोई हत्या या हत्या की साजिश के आरोप में Jail में बंद हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आरोपियों के साथ जिस प्रकार का प्रताड़ना एवं शोषण जेल Superintendent एवं Jailer और जेल के बड़ा बाबू के द्वारा होता है उससे कुछ आरोपी, अपराधी बन जाते हैं तथा Jail के भीतर जाकर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। jail के अंदर Mobile, Drugs के साथ अन्य आमजीवन से जुड़ी सुविधाएं रूपये के दम पर पूरी हो जाती है, भले ही उसका Service Charge तीन गुणा अधिक होती है। सरकार कारा के अंदर बंद लोगों के खाना, मनोरंजन, चिकित्सा, पूजा-पाठ की समुचित व्यवस्था करती है लेकिन सरकार से मिलने वाली राशि को जेल Superintendent एवं Jailer और जेल के बड़ा बाबू उसपर ग्रहण लगाते हैं के आरोप में हमेशा कोई न कोई Suspend होता ही है। इस खेल का अंत कब होगा?

JAIL

भ्रष्टाचार एवं अपराध का गढ़

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

Jail एक ऐसा जगह है जहां से मानव बुरे कर्म की सजा पाकर सामाजिक जीवन में सफल हो जाता है तो दूसरा पहलू यह भी है कि किसी भी आरोप में Jail में जाने के बाद छोटे अपराध या गलती से पकड़े जाने पर Jail में मिली यातना एवं वहां विभिन्न क्षेत्रों के Criminal के School में इनता मशगूल हो जाता है तथा वहां से बाहर निकलने का रास्ता न मिलता देख, वहां फैले Corruption, Crime से वह और बड़ा Criminal बन जाता है और Jail को अपना क्राइम का HeadQuarter बना लेता है, जिसके बाद कइ अपराध करने के बाद उसपर आरोप तक तय नहीं हो पाता क्योंकि Jail के निमयों का हवाला देकर वह बच जाता है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें यह बात प्रकाश में आई है कि बड़े संगठित गिरोह का संचालन Jail के भीतर से हो रहा है। Jail के भीतर भी कई प्रकार का गैंग है जिससे Superintendent एवं Jailer भी नहीं भिड़ना चाहते। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी Jail IG को या Home department को नहीं है बल्कि सूत्रों की माने तो जांच के आंच के नाम पर मामला उपर तक सेट है। कोई ईमानदार Superintendent एवं Jailer बड़ी मुश्किल से अपनी सेवा दे पाता है और मजबूरन उसको अपमान का घूंट पीना पड़ता है। बदलते राजनीतिक दौर में जबसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ और कई दागदार एवं अपराधी राजनेता हुए तबसे Jail से ही राजनीति को अमलीजामा पहनाया जाता है। कई ऐसे भी राजनेता हैं जो Jail में रहने के बाद भी चुनाव बहुमत से जीत जाते हैं, वैसे में Public यह समझ ही नहीं पाती कि जिस नेता का इतना जनमत है वह अपराधी कैसे हैं और अपराधी है तो फिर उसको लोग Vote कैसे करते हैं। जेल में बंद आरोपी एवं कैदी जब बाहर आते हैं और वह अपनी पीड़ा बताते हैं तथा भीतर का सच का बयान करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि सैकड़ों ऐसे अपराधी है जिनका व्यवसाय बाहर से बेहतर Jail में ही होता है और इसका Partner, जेल के Superintendent एवं Jailer तक होते हैं। Jail से Court तक कैदियों के लाने की जिम्मेवारी जिस वाहन की होती है और उसमें तैनात Officer और सिपाही की हैसियत किसी छोटे व्यापारी से कम नहीं होती और इसी च्तवपिज के चक्कर में कभी-कभार कैदी वाहन से ही फरार हो जाते हैं और सरकार एवं जनता को यह बताया जाता है कि आंख में मिर्ची झोंक दिया या बाम लगा दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि Jail या वाहन पर कैदी के पास इस प्रकार की सामग्री कैसे पहुंचती है। Jail में बंद कैदी घंटों बात करता है और उसकी मोटी किमत चुकाता है जबकि Jail के भीतर मोबाइल एवं नशीले पदार्थ वर्जित हैं लेकिन आयदिन छापेमारी में इस प्रकार का मामला खुलकर सामने आता है। Jail में बंद कैदियों का नेटवर्क भी पुलिस एवं पत्रकारों की तरह होता है तथा वह भी कारगर सिद्ध होता है, कई बार यह भी होता है कि बंद कैदी के प्रयास से अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता मितली है। Jail में Newspaper एवं Magazine, Tv सहित मनोरंजन के सभी प्रकार के संसाधन सरकार मुहैय्या कराती है तथा Weekly भोजन का Menu तक रहता है लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है और तो और कैदियों के पैसे से Jail का संचालन होता है। किसी भी Jail में Jail के Superintendent एवं Jailer की आय से अधिक की संपत्ति की जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जब Jail में वरीय अधिकारी रूटीन जांच के लिए आते हैं उस वक्त जेल के नियमों का पालन किया जाता है तथा मानवाधिकार का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और जब वरीय अधिकारी का औचक नीरिक्षण होता है तो Jail में चल रहे कुकर्म का भंडाफोड़ होता है और फिर जांच के नाम पर भी बड़े स्तर पर वसूली होती है। आरोपी कैदियों के लिए परिजन फल या अन्य सामग्री भी देते हैं तो द्वारपाल से लेकर वार्डन तक पहुंचते - पहुंचते वह फल अन्य सामग्री आधा से भी कम हो जाता है। Jail में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होता है बस उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और जिनका कोई जुगाड़ नहीं है उसको किसी न किसी गैंग का सहारा लेना पड़ता है जिसकी वजह से सुधरने वाला व्यक्ति या युवाओं का विश्वास कानून एवं सरकार से उठने लगता है। कैदी या आरोपी से परिजन को मिलने के लिए भी 500-1000 रूपये का नजराना देना पड़ता है तथा किसी भी प्रकार के सामग्री खरीदने पर बाजार से चार गुना ज्यादा की राशि वसूली जाती है। जमानत हो जाने पर जेल से छोड़ने के नाम पर भी मनमाना धनराशि की मांग की जाती है। बिहार एवं झारखंड के Jail की हालत बद से बद्तर है और यहां तैनात सिपाही से लेकर Superintendent एवं Jailer की संपत्ति की जांच प्रतिवर्ष होगा तब जाकर ही नकेल कसा जा सकेगा अन्यथा भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मी एवं अधिकारी अन्य लोगों के नाम से संपत्ति खरीदते हैं तथा धनराशि वसूलने के लिए अलग से Agent भी रखते हैं। सूत्रों की माने तो जिस प्रकार थाना का बोली लगता है उसी प्रकार Jail में भी यह खेल चलता है और Officer के साथ-साथ पक्ष-विपक्ष तक हिस्सा पहुंचता है और उम्र कैद की सजा काट रहे कुछ दबंग भी अपना हिस्सा हासिल करते हैं ताकि कोई इस ओर ध्यान द दें और जेल में बंद आरोपी या कैदी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। जेल को सुधारगृह के नाम से जाना जाता है लेकिन आजाद भारत में शायद ही कोई जेल होगा जहां से कोई सुधरकर बाहर आया हो, भले ही वह सुधरना चाहता हो परन्तु कानून की लाचारी एवं पैसे की ताकत को उसको एहसास हो जाता है। भ्रष्टाचार की Center बनता जा रहा है Jail.

KEWAL SACH TIMES
A National Magazine
वर्षः- 12, अंकः- 145 माहः- जुलाई 2023 रू. 10/-

Editor
Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor
Arun Kumar Banka 7782053204
Surjit Tiwary 9431222619
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)
Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)
Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor
Amit Kumar 9905244479, 7979075212
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor
Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor
Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor
Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief
Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau
Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer
Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड
अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड
आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड
निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड
आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड
आवश्यकता है

गुजरात हेड
आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

पंजाब हेड
आवश्यकता है

हरियाणा हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

उड़ीसा हेड
आवश्यकता है

आसाम हेड
आवश्यकता है

हिमाचल हेड
आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय
केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय
केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय
केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार मिश्र
महुआ टोली, गाड़ीगांव
होटवार, खेलगांव, राँची- 834012
मो०- 8789679740, 9431073769

विशेष प्रतिनिधी
भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,

मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

जून 2023

दुर्भाग्यपूर्ण दिन

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसकी हर खबर को पढ़ता हूं। जून 2023 अंक में प्रकाशित खबर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन 25 जून 1975 में उस वक्त की राजनीति एवं शासन व्यवस्था की सच्चाई को हूबहू लिखा है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी का मनमानी का शासन था। इस काल को आपतकाल के रूप में ऐलान किया गया और इसकी बड़ी कीमत श्रीमती गाँधी को सरकार खोकर चुकानी पड़ी थी। जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने देश में नई राजनीति का जन्म दिया लेकिन स्थिति आज भी वही है।

● **प्रमोद सिंह, शीतलपुर बाजार, छपरा**

तोड़ा जनता का विश्वास

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जून अंक 2023 में प्रकाशित संपादकीय ''नीतीश ने स्वयं तोड़ा जनता में विश्वास'' आपने बिहार एवं नीतीश कुमार पर सटीक व्याख्या की है। 17 साल के सुशासन को चलाने के लिए नीतीश कुमार ने कई बार सरकार गिराई एवं फिर से बनायी और फिलहाल PM बनने के चक्कर में राजनीति के चक्रव्यूह फंसते दिख रहे हैं। जनता जो आंख मूंदकर नीतीश कुमार पर भरोसा करती थी उसको स्वयं श्री कुमार ने तोड़ दिया है। आपका संपादकीय जितनी सरल भाषा में लिखी जाती है उसकी वजह से कोई आम आदमी भी बड़ी सरलता से पढ़ लेता है।

● **महेश राव, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

अन्दर के पन्नों में

अमित शाह ने संभाली चुनावी कमान....23

29

33

39

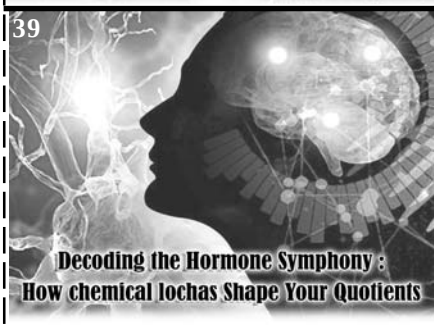

अच्छी खबर

संपादक महोदय,

जून अंक 2023 में श्री डिगम्बर महाले ने अपनी खबर ''मंगल ग्रह देवता और राजनीति का क्या संबंध? में बहुत अच्छी जानकारी दी की किस प्रकार राजनीति में ग्रह का प्रभाव होता है, यह इस लेख में पढ़ने को मिला। वहीं दूसरी खबर में डॉ संदीप भटट ने प्रकृति से बॉटनी में करियर की खबर को पढ़कर बहुत सटीक जानकारी मिली। बॉटनी चुकी वनस्पति विज्ञान से जुड़ा है और प्रकृति से वनस्पति का अपना अलग संबंध है। आज सोसल मीडिया के दौर होने के बाद भी केवल सच टाइम्स पत्रिका मजबूती से काम कर रहा है। एक से बढ़कर एक खबर पत्रिका में पढ़ने को मिलता है। इस अंक का संपादकीय भी काफी पठनीय है।

● **कमलेश सिन्हा, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर,**

विपक्षियों का महाजुटान

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका खरी-खरी खबरों को पाठकों के समक्ष लाता है। जून 2023 अंक में बिहार में हुए विपक्षियों के महाजुटान की खबर में मोदी एवं भाजपा की सरकार को 2024 में उखाड़ फेकने की विपक्षी एकता की झलक पर अमित कुममार की खबर ने सोचने पर मजबूर कर दिया है की आखिरकार 2024 के चुनाव में किसको वोट किया जाये। 15 दलो की बैठक का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और बैठक के दूसरे दिन ही अरबिन्द केजरीवाल ने विपक्षी एकता से खुद को अलग कर लिया। आपकी पत्रिका सच्चाई को पूरी गंभीरता के साथ पाठकों को जागरूक करने का काम करता है। सटीक खबर।

● **निरंजन शर्मा, करमटोली चौक, राँची, झा०**

आदिवासी वोटर्स

मिश्रा जी,

''मध्यप्रदेश के आदिवासी वोटर्स पर टिकी है मोदी-शाह की निगाहें'' आलेख में विकास सिंह ने जून 2023 अंक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पठनीय एवं जानकारीप्रद खबर को पाठकों के समक्ष रखा है तथा किस प्रकार आदिवासियों का वोट भाजपा के पक्ष में किया जाये को लेकर मोदी एवं शाह काफी सजग एवं सतर्क हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा क जरिए भी आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर के अंर्तकलह को लेकर दूसरी खबर भी सोचने पर मजबूर कर रही है। मोदी एवं शाह के लिए मध्यप्रदेश का चुनाव भी कर्नाटक की तरह गंभीर दिख रहा है। दोनों खबरें उचित समय पर सटीक बैठती है।

● **मनोज पासवान, रेलवे कॉलोनी, भोपाल, मप्र**

मोदी का अमेरिका दौरा

ब्रजेश जी,

एक तरफ विपक्ष मोदी से सत्ता छीनना चाहती है और दूसरी तरफ मोदी देश ही नहीं विदेश में भी अपना जलवा कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। केवल सच टाइम्स पत्रिका के जून 2023 अंक में राजनीति के मायने वाली प्रकाशित खबर ''मोदी का अमेरिका दौरा'' भारत और अमेरिका की दोस्ती कहां तक जायेगी के विषय पर ज्ञानवर्द्धक बातों को पाठकों के बीच रखकर नरेन्द्र मोदी की साख को मजबूत किया है। जिस प्रकार मोदी का अमेरिका में मान-सम्मान मिला उससे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है और भारत की विदेश नीति का लोहा न सिर्फ अमेरिका बल्कि अन्य कई देश मानता है और मोदी की कूटनीति ने भारत को मजबूत किया है।

● **नारायण जयसवाल, लक्ष्मी नगर, नई दिलली**

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

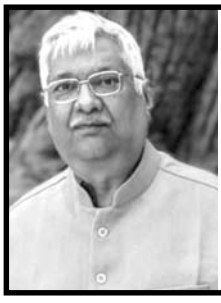

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी
'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
- A/C No. :- 20001817444
  BANK :- State Bank Of India
  IFSC Code :- SBIN0003564
  PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

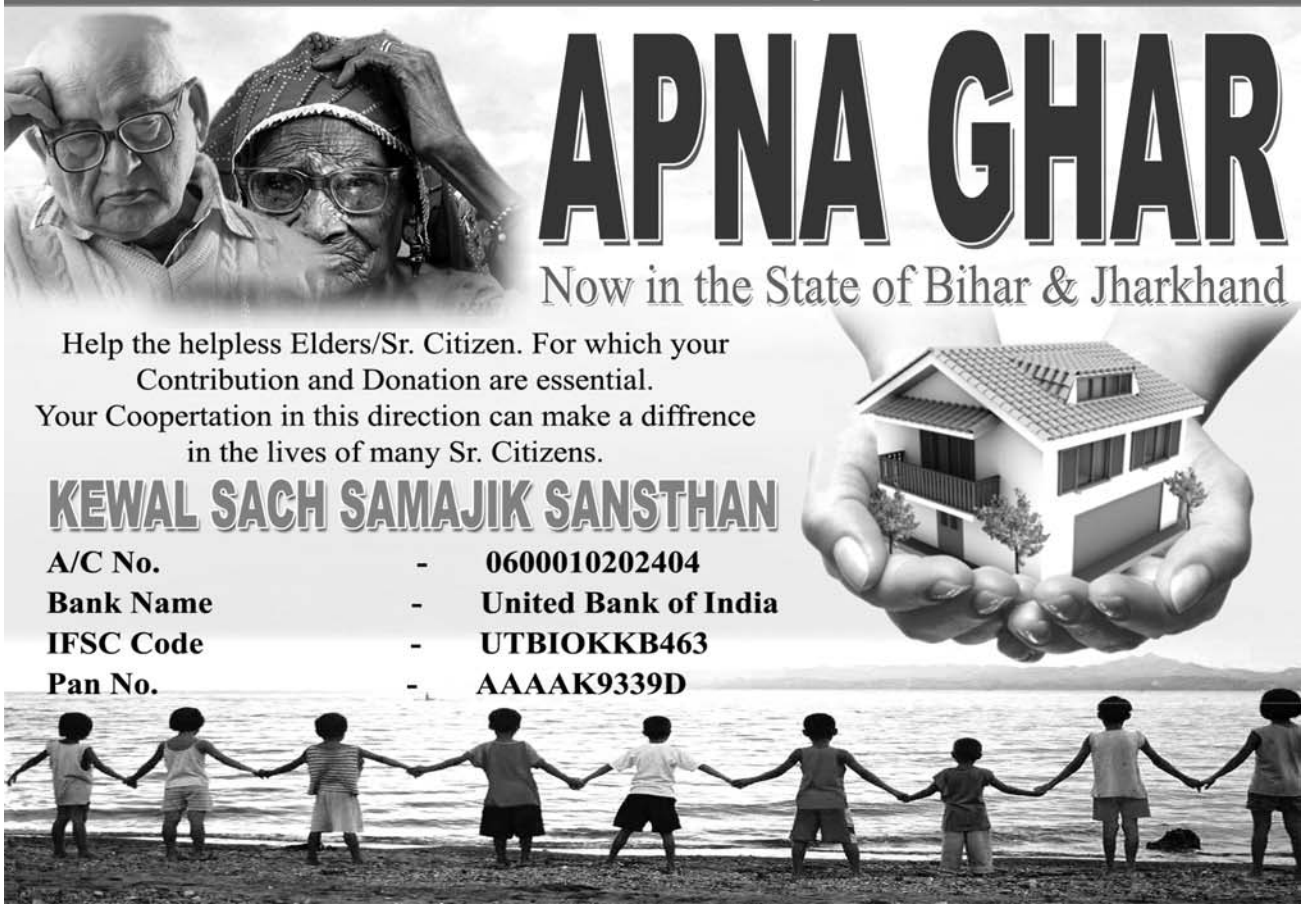
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

मणिपुर हिंसा

हैवानियत की हदें पार मानवता हुई तारतार

● अमित कुमार

अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए मशहूर मणिपुर का 'कुरूप चेहरा' उस समय सामने आया जब राज्य में सेनापति जिले के एक गांव में 2 कुकी आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। कुछ नराधम उन असहाय महिलाओं को हाथों में जकड़े हुए थे, वहीं उनके पीछे बेशर्म नरपशुओं की भीड़ उनका उत्साह बढ़ा रही थी। यह दृश्य सदियों पहले हस्तिनापुर की राजसभा में हुए द्रौपदी के चीरहरण से भी ज्यादा वीभत्स था। क्योंकि उस समय तो राज सभागार की दीवारें और छत द्रौपदी की आबरू (सिर्फ बाहरी लोगों से) को ढक रही थीं, कुछ सभासदों का विरोध भी था, लेकिन यहां तो खुले आसमान के नीचे इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया। इन महिलाओं के लिए कोई कृष्ण भी नहीं आया। सिर्फ भीड़ थी तो दुशासनों और दुर्योधनों की। मणिपुर 3 मई से ही सुलग रहा है, जब मेईती समुदाय ने अपना जनजातीय दर्जा बहाल करने की मांग की थी। इसके बाद राज्य में हिंसा और आगजनी का जो नंगा नाच चला, वह किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर कालिख पोतने जैसा है। मणिपुर में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कितने ही घरों को आग के हवाले कर दिया है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सैकड़ों लोग मणिपुर से भागकर पास के राज्यों में शरण ले चुके हैं। 20 साल की एक लड़की गंगटे की आप बीती दिल दहलाने वाली है। 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद, गंगटे और उनका परिवार इम्फाल में एक रिश्तेदार के घर चले गए थे और अगली सुबह घर लौट आए। जब हम घर लौटे, तो पता चला कि नजदीक ही सीआरपीएफ का एक राहत शिविर था। इसलिए, हमने कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर वहां जाने का फैसला किया। मेरी मां, भाई, भाभी, चचेरे भाई और चाची अपने

एक साल के बच्चे के साथ एक कार से चले गए थे। उसके कुछ चचेरे भाई दूसरी कार में सवार थे। जब हम निकले तो कुछ समय के लिए सड़कें खाली थीं। शिविर से लगभग आधा किलोमीटर दूर भीड़ ने हमारी कार को घेर लिया। हमें कार से बाहर खींच लिया। उन्होंने कार पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। भीड़ ने मेरे भाई को पीटना शुरू कर दिया। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमसे हमारी जाति के बारे में सवाल किए गए। हमने उन्हें बताया कि हम मिजो हैं और उन्होंने लगभग हमें जाने ही दिया था। उनमें से कुछ ने हम पर शक किया और हमें रोक लिया। दूसरी कार में सवार परिजन भागने में सफल रहे। बाद में, गंगटे और उनकी मां भी भागने में सफल रहीं और पास की एक इमारत में छिप गईं। भीड़ ने हमें 10 मिनट के भीतर ढूंढ लिया। उन्हें लोहे की छड़ों और लाठियों से लैस पुरुषों द्वारा घसीटा गया। मैं उन लोगों से बचकर भागने से पहले एक आखिरी बार मुड़ी और देखा कि मेरा भाई खून से लथपथ पड़ा

था। कुछ समय बाद एक पुलिस अधिकारी ने मेरी कॉल का जवाब दिया और कहा कि उन्होंने उस जगह से एक पुरुष और एक बुजुर्ग महिला के शव उठाए हैं। मैं समझ गई कि यह मेरी मां और मेरा भाई था। यह एक ही कहानी है, जो सामने आई है। ऐसी कई कहानियां होंगी, जो हिंसा और आग की लपटों में दफन होकर रह गई होंगी। मणिपुर की हैवानियत पर आज पूरा देश शर्मसार है। पिछले लंबे समय से जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से दरिंदगी की तरह व्यवहार किया गया उससे हर किसी का सिर शर्म से झुक गया है। हर कोई लज्जित महसूस कर रहा है। भले ही महिलाओं के साथ हैवानियत की यह घटना पूर्वोत्तर के एक राज्य में घटी हो लेकिन इस गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस घटना की गूंज लोकतंत्र के मंदिर संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है।

गौरतलब है कि मणिपुर में बीते ढाई महीने से जारी हिंसा के बीच शायद ही कोई दिन रहा हो जब इस राज्य के किसी इलाके में हिंसक झड़प, हत्या या आगजनी जैसी खबरें दिल्ली तक न पहुंची हो, लेकिन दो महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि मणिपुर में हो रही हिंसा की गूंज वहां से 2,500 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजधानी में पूरे दिन सुनाई पड़ती रही। ढाई माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 150 से ज्यादा लोगों की हत्याओं के खून में सने मणिपुर ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर अपने मुंह पर कालिख भी मल ली है। इस कृत्य के लिए न सिर्फ मणिपुर के लोगों की भीड़ जिम्मेदार है, बल्कि देश की राजधानी में सिरमौर बनकर बैठी केंद्र सरकार और मणिपुर की एन बिरेन सिंह की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। खास बात तो यह है कि यह सब हुआ उस 'डबल इंजन' की सरकार में, जिसकी सफलताओं के दावे भाजपा नेता बड़े-बड़े मंचों से करते हैं। विकास तो भूल जाइए, मणिपुर में तो डबल इंजन सरकार के राज में विनाश का तांडव रचा जा रहा है। मणिपुर के लोगों और विपक्षी दलों की लगातार मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर की हिंसा पर चुप रहे। मणिपुर से महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने, उन्हें अपमानित करने के वीडियो ने संपूर्ण देश को स्तब्ध किया है। हिंसा किसी प्रकार की हो,

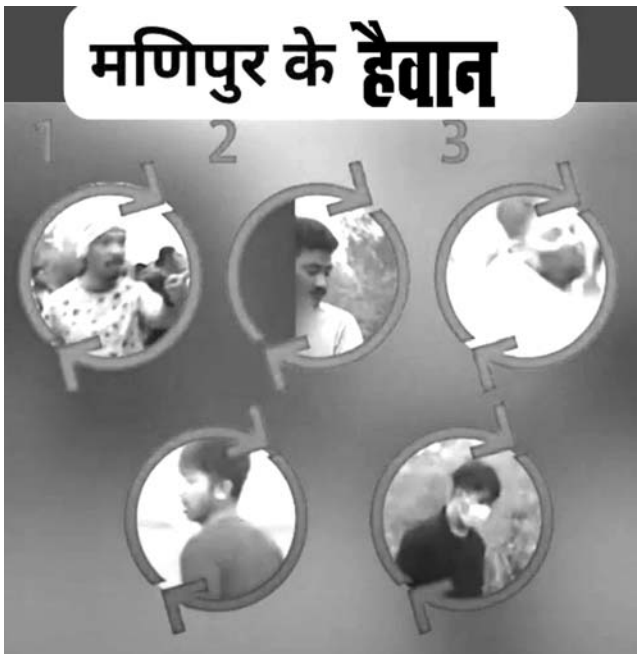

महिलाओं और बच्चों को ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वीडियो में जो लोग भी जघन्य अपराध करते दिख रहे हैं उनको उपयुक्त सजा मिलेगी। बावजूद इस घटना की चर्चा करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मणिपुर में कई तरह की हिंसा जारी थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का यह वक्तव्य वायरल है कि आपको एक घटना की चिंता है न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई है। यही सच है। यह घटना कूकी महिलाओं से संबंधित है। हमें पता है कि मैतेयी समुदाय की कितनी महिलाओं के साथ क्या-क्या हुआ होगा? जितनी संख्या में घर बार छोड़कर लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उसमें यह कल्पना आसानी से की जा सकती है अनेक महिलाओं के साथ भयानक दुर्व्यवहार हुए होंगे। जब तक हिंसा के पीछे के सच को और जिस तरह वो घटी उस तरह नहीं देखा जाएगा तो इसका निदान ढूंढना मुश्किल होगा। यह वीडियो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़प के एक दिन बाद यानी 4 मई की है। विचार करने की बात है कि यह वीडियो अब क्यों जारी हुआ? इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने स्वयं द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन और संसद सत्र आरंभ होने के एक दिन पूर्व वीडियो जारी किया। जाहिर है, समय का ध्यान रख यह वीडियो जारी हुआ। इससे देश और दुनिया भर में यह संदेश देने की कोशिश हुई कि मैतेयी हिन्दू उत्पीड़क हैं और पीड़ित समुदाय केवल कूकी हैं, जिनमें ज्यादातर ईसाई हैं। यह सच नहीं है कि पुलिस ने पहले इसका संज्ञान नहीं लिया था। 4 मई को घटना हुई थी और मामले में 18 मई को कांगपोकपी जिले में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मामला संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। जब भी कहीं जातीय, नस्ली, सांप्रदायिक अलगाववादी हिंसा होती है तो सुरक्षाबलों व प्रशासन की

पहली भूमिका उसे शांत करने की रहती है। आप इंडीजीनस ट्राईबल फोरम के विरोध प्रदर्शन को देखिए तो सभी काला ड्रेस पहने हुए हैं। इतनी संख्या में काला ड्रेस मुफ्त नहीं मिल सकता। साफ है कि विरोध के पीछे ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ अलग उद्देश्य पाना चाहती हैं। वस्तुत: मणिपुर की हिंसा का यह ऐसा पहलू है जिसको समझने की कोशिश करनी होगी। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में कुल 6000 हिंसा की घटनाएं हुई, 5000 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, 6700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं, 70 हजार के आसपास विस्थापित हैं, 10 हजार ने मणिपुर छोड़ दिया तथा 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अनेक मारे गए लोगों के शव मोर्चुअरी में पड़े हैं, जिन्हें ले जाने वाला कोई नहीं। उन हालातों में न जाने कितने भयावह और जघन्य अपराध हुए होंगे इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। उसमें एक वीडियो समय का ध्यान रखते हुए जारी करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? आने वाले समय में ऐसी और घटनाओं के भी विवरण आएंगे जो हमें आपको बार-बार अंदर से हिला सकते हैं। 4 जून को ही भीड़ ने एक एंबुलेंस को रास्ते में रोक उसमें आग लगा दी। एंबुलेंस में सवार 8 साल के बच्चे, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। मृतका मां मैतेई समुदाय से आती थीं और उनकी शादी एक कुकी से हुई थी। इस तरह की हिंसा को किस श्रेणी में रखेंगे? वीडियो जारी करने वाले विश्व भर को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैतेयी हिंदुओं ने कूकी ईसाइयों के साथ इसी तरह की बर्बरता की। साफ है कि वह केंद्र एवं प्रदेश दोनों सरकारों को विश्व भर में अल्पसंख्यकों का खलनायक तो साबित कर ही रहे हैं साथ ही ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि वहां हिंसा कायम रहे और वे अपना लक्ष्य पा सके। इस संघर्ष को हिंदू बनाम ईसाई संघर्ष कहना गलत होगा। ईसाई संघर्ष होता तो इसमें नगा भी शामिल होते। हां, अलगाववाद और हिंसा के पीछे चर्च अवश्य मुख्य प्रेरक कारक है। पूर्वोत्तर में अलगाववाद एवं हिंसक आंदोलनों के पीछे चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी है। मणिपुर में कूकियों का एक बड़ा समूह म्यान्मार से आया। इन्हें चिन कूकी कहा जाता है। इनके अनेक हथियारबंद समूह खड़े हैं। इनका लक्ष्य बांग्लादेश, म्यानमार और मणिपुर के हिस्से को मिलाकर एक स्वतंत्र देश बनाना है। मैतेयी मणिपुर तक सीमित है लेकिन कुकी पूरे पूर्वोत्तर में फैले हैं जिनमें गैर ईसाई अब बहुत कम होंगे। 2008 में लगभग सभी कुकी विद्रोही संगठनों के साथ केंद्र सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या एसओएस समझौता किया जिसका उद्देश्य इनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई रोकना था। कई संगठनों ने वादा नहीं निभाया। अंतत: इस वर्ष 10 मार्च को मणिपुर सरकार ने दो संगठनों के साथ समझौता रद्द कर दिया। ये संगठन हैं जोमी रेवुलुशनरी आर्मी यानी जेडआरए और कुकी नेशनल आर्मी यानी केएनए। बीरेन सिंह सरकार ने इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। एरियल सर्वे कराकर अफीम की खेती को नष्ट करना आरंभ हुआ। मादक औषधियों के व्यापार के लिए कुख्यात म्यानमार, थाईलैंड, बैंकॉक का गोल्डन ट्रायंगल इससे जुड़ा है। दूसरे, जंगलों की भूमि पर इनके अवैध कब्जे को भी मुक्त कराने का अभियान चला। मणिपुर का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी तथा 10 प्रतिशत मैदानी हैं। मैतेयी मणिपुर की लगभग 53 -54 प्रतिशत आबादी है, जो हिंदू हैं,लेकिन 10प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों यानी इंफाल घाटी में रहते हैं। पहाड़ी इलाकों के 33 मान्य जनजातियों में मुख्यत: नंगा और कुकी हैं जिनमें ज्यादातर का ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो चुका है। मैतेयी समुदाय 1949 तक आदिवासी माना जाता था। इन्हें सामान्य जाति बना दिया गया। ये सारी सुविधाओं और विशेष अधिकारों से वंचित हो गए। दूसरी ओर पहाड़ी जनजातियों को संविधान से विशेषाधिकार मिले हैं। भूमि सुधार कानून के अनुसार कुकी और नगा तथा अन्य जनजातियां मैदानी क्षेत्र में जमीन खरीद सकते हैं लेकिन मैतेयी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं खरीद सकते। कूकी और नगा धीरे-धीरे मैदानी इलाकों की जमीन

खरीद कर इसमें बस रहे हैं, चर्चों की संख्या बढ़ रही है। परिस्थितियों में मैतेयी समुदाय के भी कुछ लोग ईसाई धर्म कर ग्रहण कर चर्च में जाने लगे हैं। इससे वहां सामाजिक तनाव बढ़ता गया है। वैसे मणिपुर में कूकियों के साथ अन्याय का आरोप लगाने वाले नहीं बताते कि राजनीति में अवश्य मैतेयी समुदाय का वर्चस्व है लेकिन पुलिस और प्रशासन मुख्यत: कूकियों के हाथ में है। घटना के दौरान पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस उप महानिदेशक दोनों कूकी थे। प्रदेश में 21भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कूकी हैं। सरकार द्वारा संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्य में गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती करने के विरुद्ध अभियान जैसे-जैसे बढ़ा अलगाववादी समूहों ने कूकियों को भड़काया कि भाजपा केवल हिंदुओं के हितों के लिए काम कर रही है और तुम्हारी पुश्तैनी जमीन से तुम्हें हटा रहे है। 3 मई को कूकियों की रैली थी और इसी दौरान कांगपोकपी नाम की जगह पर पुलिस से उनका टकराव हुआ। महिलाओं को नग्न कर भीड़ द्वारा उत्पीड़न करने का वीडियो वहीं के पास का है। टकराव में पांच प्रदर्शनकारियों के साथ पांच पुलिसवाले भी घायल हुए थे। कल्पना की जा सकती थी कि वहां क्या स्थिति रही होगी। बंद और विरोध प्रदर्शन चुराचंदपुर में हुआ जहां मुख्यत: कूकी और नागा आबादी है लेकिन हिंसा की घटनाएं इंफाल घाटी में हुई। 27-28 अप्रैल तक हिंसा कूकी और पुलिस के बीच थी। इसके बाद यह मैतेयी और कूकी टकराव में बदला। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने यह आरोप लगाते हुए एकता मार्चश निकाला कि सरकार मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने जा रही है। उसके साथ हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं का वीडियो ठीक इसके अगले दिन का है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए यह अवश्य ध्यान रखिए कि कूकी महिलाएं संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर रखी जाती हैं। इंडियन आर्मी गो बैक की तख्तियां लेकर आंदोलन के अग्रिम पंक्तियों में चलती महिलाओं की तस्वीरें वहां आम हैं। ऐसे मामलों में कानून निष्पक्षता से कार्रवाई करें यह हम सब चाहेंगे। किंतु जितनी बड़ी खाई हो गई है उसको पाटने के लिए कई स्तरों पर लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है। ऐसे संवेदनशील मामले में अत्यंत सधे हुए तरीके से प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने एवं कदम उठाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हमारी राजनीति क्षण भर के लिए भी ठहर कर इस दिशा में सोचने को तैयार नहीं है।

वही बताते चले कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि हथियारबंद पुरुषों का एक समूह कांगपोकपी जिले के गांव में घुसा और उसने घरों को लूटा तथा आगजनी की, लोगों की हत्या की तथा महिलाओं का यौन शोषण किया। एफआईआर में दावा किया गया है कि भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसने 4 मई को कुछ लोगों को अपनी बहन से दुष्कर्म करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और दूसरे लोगों के सामने ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया। प्राथमिकी में कहा गया कि एके राइफल्स, एसएलआर, इनसास और .303 राइफल्स जैसे आधुनिक हथियार लेकर करीब 900-1000 लोग सैकुल थाने से करीब 68 किलोमीटर दक्षिण में कांगपोकपी जिले में हमारे गांव में जबरन घुस आए। हिंसक भीड़ ने घरों में तोड़फोड़ की और चल संपत्तियां लूटने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। वे नकदी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनाज और मवेशियों को लूटकर ले गए। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ 5 लोगों को भी अपने साथ ले गई, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने एक नजदीकी जंगल से बचाया। पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने तथा उनसे छेड़छाड़ करने के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले 19 जुलाई को इस घटना का वीडियो सामने आया था। इस घटना के संबंध में एक महीने पहले 21 जून को सैकुल थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। जिन दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराई गई, उनमें से एक का पति करगिल युद्ध में भाग ले चुका पूर्व सैनिक है। उसने इस पर खेद

> “वायरल वीडियो में जिन दो औरतों के साथ ये अमानवीय और अपमानजनक घटना हुई, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद मणिपुर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तेज की थी और इस मामले में गुरुवार सुबह पहली गिरफ़्तारी हुई है.
>
> **-एन बीरेन सिंह**
> **मणिपुर के मुख्यमंत्री**

"मणिपुर की जो घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है. किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली है. पाप करने वाले कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज़्ज़ती पूरे देश की हो रही है. 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है. मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वो अपने-अपने राज्यों में क़ानून व्यवस्था मज़बूत करें.

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

जताया कि उन्होंने देश की रक्षा की लेकिन अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा पाया। उसने एक समाचार चैनल से कहा कि मैं करगिल युद्ध में देश के लिए लड़ा और भारतीय शांति रक्षक बल के रूप में श्रीलंका में भी रहा। मैंने देश की रक्षा की लेकिन अपनी पत्नी तथा बाकी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका। इस बात का उसे अफसोस भी है। बता दें कि मणिपुर से दो निर्वस्त्र महिलाओं के वायरल वीडियो ने कई चीजें बदल दी हैं। पहली बार प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की, पहली बार मणिपुर मीडिया की मुख्यधारा में आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली बार इस घटना का संज्ञान लिया है। 4 मई का यह वीडियो अब पहली बार सामने आया है। जानकारों का कहना है कि यह वीडियो को महज एक झांकी है। इंटरनेट पर पाबंदी हटने के बाद ऐसी सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो सामने आ सकते हैं। इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया है कि बीते 79 दिनों से राज्य में जारी जातीय हिंसा की सबसे बड़ी मार देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक रुतबा रखने के बावजूद यहां की महिलाओं पर ही पड़ी है। वही मणिपुर में मैतेई और कुकी तबके के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा, आगजनी और एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की खाई बढ़ने की खबरें तो अशांति के पहले दिन से ही सामने आने लगी थीं। हालांकि यह पहला मौका है जब महिलाओं के साथ ऐसे अमानवीय अत्याचार का कोई वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में पीड़ित महिलाएं कुकी तबके की हैं। इससे साफ है कि हमलावरों में मैतेई तबके के लोग ही शामिल हैं। कुकी आदिवासियों के सबसे बड़े संगठन कुकी इंपी मणिपुर (केआईएम) के महासचिव के. गांग्टे इस घटना की मिसाल देते हुए कहते हैं, हम बहुत पहले से ही मैतेई लोगों के अत्याचारों की बात कहते आ रहे थे, लेकिन कोई हमारा भरोसा नहीं कर रहा था। सरकार और पुलिस मैतेई तबके के साथ थी। अब इस वीडियो ने हमारे आरोपों को साबित कर दिया है। आप ही बताएं कि आखिर मौजूदा परिस्थिति में हम अब मैतेई लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं? कुकी नेता का दावा है कि राज्य में इंटरनेट बंद होने के कारण ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने नहीं आ पा रहे हैं। इंटरनेट से पाबंदी खत्म होते ही ऐसे फोटो और वीडियो की बाढ़ आ जाएगी। उनका कहना है कि यह पहला या अंतिम मामला नहीं है। मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी कई कहानियां पर्वतीय इलाकों के लगभग हर गांव में सुनने को मिल जाएंगी। यहां उन लोगों ने शरण ली है जो हिंसा शुरू होने के बाद किसी तरह जान बचा कर अपने गांव लौटने में कामयाब रहे थे। कुकी समुदाय के एक युवक टी हाओकिप का आरोप है कि राज्य सरकार में मैतेई तबके के लोगों का बोलबाला है और सरकार और प्रशासन भी खुल कर उसके साथ हैं। ऐसे में उनसे समस्या के समाधान की उम्मीद करना बेमानी है। अपनी दलीलों के समर्थन में वे चार मई के ताजा वीडियो की मिसाल देते हैं। उनका कहना है कि अभी तो राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी है। एक बार इसके खत्म होने के बाद यहां से ऐसी-ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे जो मानवता को शर्मसार कर देंगे। कुकी समुदाय का दावा है कि ऐसे तमाम अत्याचार मैतेई तबके के लोगों ने ही किए हैं। लेकिन मैतेई तबके में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुकी लोगों के अत्याचारों की कहानियां सुनाते मिल जाएंगे। करीब ढाई महीने से राजधानी इंफाल के एक राहत शिविर में रहने वाले एम. जॉय सिंह (बदला हुआ नाम) अपने परिवार के साथ कुकी बहुल कांग्पोक्पी जिले में रहते थे। हिंसा शुरू होने के बाद वे परिवार के सात सदस्यों के साथ किसी तरह जान बचा कर इस राहत शिविर तक पहुंचे थे। सिंह बताते हैं कि कुकी उग्रवादियों ने परिवार की दो महिलाओं के साथ घर के पुरुषों के

"प्रधानमंत्री (मोदी) की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है. जब मणिपुर में भारत की अवधारणा पर हमला किया जा रहा है तो 'INDIA'चुप नहीं रहेगा. हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं और सिर्फ़ शांति ही एक विकल्प है.

राहुल गांधी
कांग्रेस नेता

आपके (पीएम मोदी)अंदर अंतरआत्मा की आवाज़ और सरकार में शर्म बची हो तो आपको मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलना चाहिए. राज्य और केंद्र में ख़ुद की नाकामियों के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने की बजाय आपको देश को बताना चाहिए कि मणिपुर में हुआ क्या है.

- मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष

सामने ही बलात्कार किया और किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सिंह बताते हैं, यहां करीब ढाई महीने कैसे गुजारे हैं, यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बरसों से आपसी सद्भाव से साथ रहने वाले पड़ोसी एक पल में इज्जत और जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी।

हालांकि मणिपुर में महिलाओं को सामाजिक तौर पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हैं। राजनीति के इतर बाकी तमाम क्षेत्रों में उनकी भूमिका बेहद अहम है। एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार एमा मार्केट भी राजधानी इंफाल में ही है। यहां की महिलाओं का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। इसके अलावा राज्य में लागू शराबबंदी में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि इनके आंदोलन के कारण ही सरकार को शराबबंदी लागू करनी पड़ी थी। राज्य में उग्रवाद चरम पर होने के दौरान भी कभी महिलाओं के साथ अत्याचार की कोई घटना सामने नहीं आई थी। अब हिंसा शुरू होने के बाद भी महिलाएं अलग-अलग समूहों में अपने-अपने गांव की सुरक्षा में जुटी थी। हालांकि इस जातीय हिंसा ने महिलाओं के प्रति सम्मान की सदियों पुरानी परंपरा को लगभग खत्म कर दिया है। बीते दिनों राजधानी इंफाल में एक नागा महिला की बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के खिलाफ नागा संगठनो ने 12 घंटे का बंद भी रखा था। उसके पहले एक और महिला की भी हत्या हो गई थी। अब कुकी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनको निर्वस्त्र परेड कराने के वीडियो ने बाकी तमाम घटनाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह घटना मौजूदा जातीय हिंसा और मैतेई-कुकी संघर्ष के सबसे स्याह पहलू के तौर पर सामने आई है। इतिहास गवाह है कि युद्ध या किसी मानवीय या प्राकृतिक त्रासदी का सबसे प्रतिकूल असर महिलाओं पर ही पड़ता है। इस घटना से भी यह स्पष्ट है कि मणिपुर की जातीय हिंसा की सबसे बड़ी शिकार भी महिलाएं ही हैं चाहे वे मैतेई हों या फिर कुकी। इस वीडियो ने करीब 19 साल पहले की उन तस्वीरों की यादें ताजा कर दी हैं कि जब राज्य की मैतेई महिलाओं ने मनोरमा नाम की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में असम राइफल्स के खिलाफ निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। दोनों मामले एकदम अलग हैं। पहली घटना ने जहां अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की मिसाल पेश की थी, जबकि यह घटना महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दो समुदायों के बीच बढ़ी अविश्वास की खाई का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी तरफ मणिपुर हाल के वर्षों की ऐसी सबसे बड़ी स्टोरी है, जिसे मुख्यधारा की मीडिया में उचित जगह नहीं मिल सकी है। एकाध अपवादों को छोड़ दें तो तमाम बड़े चैनलों में अब तक इस समस्या का जिक्र सरसरी तौर पर ही किया जाता रहा है। केंद्र और मुख्यधारा की मीडिया की इस कथित उपेक्षा के कारण ही देश की आजादी के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य खुद को अलग-थलग महसूस करते रहे हैं। मणिपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। बाहर से जितना नजर आता है, जमीनी हालत उससे कहीं बहुत ज्यादा खराब है। उनके मुताबिक, इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार के ही हाथों में है। लेकिन वह कोई पहल करने या सलाह देने की बजाय सिर्फ सुरक्षा बल ही भेज रही है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुकी और मैतेई तबके के बीच बढ़ी संदेह की खाई को ध्यान में रखते हुए इस समस्या की समाधान की दिशा में किसी ठोस पहल से पहले सरकार को दोनों पक्षों का भरोसा जीतना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में न तो इसकी कोई इच्छाशक्ति दिखाई देती है और न ही इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं। सबने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि अगर मुख्यधारा की मीडिया ने शुरू से ही इस समस्या को ढंग से उठाया होता तो केंद्र पर इसके समाधान की पहल करने का दबाव बढ़ता और शायद आज स्थिति कुछ अलग होती। अब मणिपुर की हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरे कांड के मुख्य आरोपी हेरादास को थौबल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर कैसे हुआ पूरा कांड? पूरे मामले को

"मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं...केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं?

प्रियंका गांधी
नेता, कांग्रेस

"मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफ़रत की नीति और बीजेपी की वोट की राजनीति ज़िम्मेदार है. बहन-बेटियों के परिवार वाले अब तो भाजपा की ओर देखने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे

अखिलेश यादव
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और सपा प्रमुख

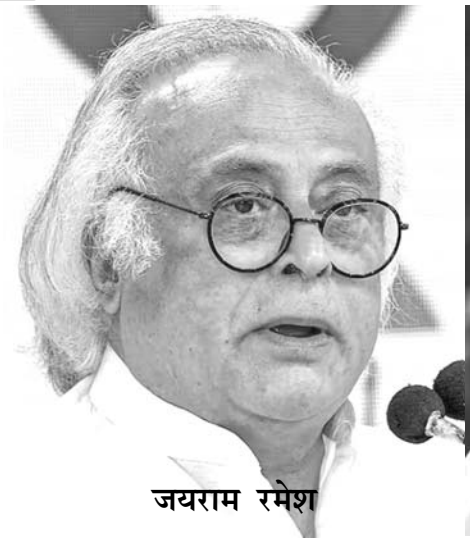
जयराम रमेश

ममता बनर्जी

तेजस्वी यादव

लेकर हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिला ने एक अखबार को दरिंदगी की पूरी कहानी बताई। महिला ने बताया कि पुलिस उस भीड़ के साथ थी, जो हमारे गांव पर हमला कर रहे थे। शिकायत में कहा गया कि कांगपोकपी जिले में उनके गांव पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद वो जंगल में भाग गए थे, जिसके बाद उन्हें थौब पुलिस ने बचाया और पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। लेकिन भीड़ ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया और थाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर पकड़ लिया। अपनी शिकायत में पीड़ितों ने कहा था कि उनमें से 5 लोग एक साथ थे। वीडियो में दिखाई दे रही महिलाओं को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर दिया गया। आरोप यह भी था कि 20 वर्षीय महिला के पिता और भाई को भीड़ ने मार डाला था। महिला ने कहा कि भीड़ ने वही किया जो वो करना चाहते थे। हमने गांव छोड़ा और हम भाग गए। महिला ने आगे कहा कि उसे और उसके परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो फैलाने को लेकर भी उसे कुछ नहीं पता था। 2 महीने बाद आखिरकार वीडियो जब फैला तो पुलिस ने शिकायत दर्ज की। महिला ने कहा कि मणिपुर में इंटरनेट ही नहीं है। हमें कुछ पता ही नहीं चला। महिला ने कहा कि एक नहीं बल्कि भीड़ का हिस्सा कई आदमी थे। वह कुछ लोगों को तो पहचान सकती है। महिला ने भीड़ में से एक व्यक्ति को तो उसने अपने भाई का ही दोस्त बताया। 20 जुलाई को मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना का मुख्य आरोपी, जिसने हरे रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी और महिला को पकड़ रखा था, उचित पहचान के बाद एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी का नाम हुइरेम हेरोदास मेइतेई है, जो पेची अवांग लीकाई का रहने वाला है और उसकी उम्र 32 साल है।

गौरतलब हो कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत की गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। कांग्रेस सहित विपक्षी दल एक सुर में मणिपुर की घटना पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने पीएम मोदी से संसद के अंदर बयान की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि मणिपुर में मानवता मर गई है। संसद का मानसून सत्र आरंभ होने के साथ ही विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस' (इंडिया) मणिपुर के विषय पर सरकार से जवाब मांगेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुद इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मानवता खत्म हो गई, लोकतंत्र और कानून का शासन भीड़तंत्र में बदला। संसद में आज भी हंगामे के आसार है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह दावा भी किया कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को देश कभी माफ नहीं करेगा। मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई सांसदों ने मणिपुर के विषय को लेकर संसद के दोनों सदनों में कार्यस्थगन के नोटिस दिए हैं। खरगे ने ट्वीट किया कि 'मणिपुर में मानवता खत्म हो गई। मोदी सरकार और भाजपा ने राज्य के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करके लोकतंत्र और कानून के शासन को भीड़तंत्र में बदल दिया है।' उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी, भारत आपकी चुप्पी को कभी माफ नहीं करेगा। यदि आपकी सरकार में जरा भी विवेक या शर्म बची है, तो आपको संसद में मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए और केंद्र एवं राज्य दोनों में अपनी दोहरी अक्षमता के लिए दूसरों को दोष दिए बिना देश को बताना चाहिए कि क्या हुआ। आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी त्याग दी है। संकट की इस घड़ी में हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा भड़के 78 दिन हो गए हैं। उस भयावह घटना को बीते 77 दिन हो गए हैं जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उनके साथ कथित तौर

"महिला के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर भाजपा व उनकी सरकार को शर्मसार करने वाली है...क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी?

मायावती
बसपा प्रमुख

"प्रधानमंत्री वीडियो देखकर देश कैसे चलाएंगे? पीएम को तो वहां जाना चाहिए था. जब तक वो (बीरेन सिंह) मणिपुर के सीएम रहेंगे तब तक इंसाफ़ नहीं होगा. उनको हटाया जाए

असदुद्दीन ओवैसी
प्रमुख, एआईएमआईएम

पर बलात्कार किया गया। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के 63 दिन बाद भी अपराधी अभी तक फरार हैं।' उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के कारण शेष भारत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मणिपुर में इतनी भयानक घटना घटी। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बिल्कुल अक्षम्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात करने या बयान जारी करने के लिए 76 दिनों तक इंतजार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को इस घटना की जानकारी नहीं थी? मोदी सरकार, सब कुछ ठीक है जैसी बातें करना कब बंद करेगी? मणिपुर के मुख्यमंत्री को कब बदला जाएगा? ऐसी और कितनी घटनाओं को दबाया गया है?

बहरहाल, आखिरकार पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। पीएम ने कहा कि मणिपुर की घटना से उनका मन क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना को सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए कहा कि गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं, वो अपनी जगह पर हैं पर बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर की घटना पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस देश के किसी भी कोने में, किसी के भी राज्य सरकार में राजनीति और वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून

व्यवस्था का महात्म्य और नारी का सम्मान है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से और सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस हरकत में आई और पहली गिरफ्तारी की गई। फिलहाल गहन जांच चल रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके कुछ ही घंटों बाद आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 26 सेकंड के वीडियो में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को कांगपोकपी जिले के बी. फाइनोम गांव में भीड़ को सक्रिय रूप से निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। इस आरोपी की पहचान 32 वर्षीय हुईरेम हेरादास सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए अन्य तीन आरोपियों की पहचान तत्काल पता नहीं चली है। वरिष्ठ अधिकारी वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें मौजूद लोगों की मिलान गिरफ्तार आरोपियों के साथ कर रहे हैं। वही संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कहा था कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के

खिलाफ थाउबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है तथा दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में रात भर चली छापेमारी के बाद एक आरोपी हुईरेम हेरादास सिंह को थाउबल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा आरोप है कि भीड़ ने दोनों आदिवासी महिलाओं को छोड़ने से पहले उनका कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। इसी घटनाक्रम में ग्रामीणों ने आरोपी हेरादास सिंह के मकान को आग लगा दी और उसके परिवार को प्रताड़ित किया। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने घटना को 'अमानवीय' करार दिया और कहा कि अपराधियों को ''मृत्युदंड'' मिलना चाहिए। घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे मानवता के प्रति अपराध बताया और कहा कि उनकी सरकार इस जघन्य अपराध पर चुप नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो देखते ही उन्होंने साइबर अपराध विभाग से इसका सत्यापन करने को कहा और अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों को व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया। सिंह ने आगे कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इसके तहत अलग-अलग समुदायों के विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों, उद्यमियों, धार्मिक नेताओं से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से साथ रहते आए हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे, समुदायों के बीच की गलतफहमी दूर की जा सकती है और बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है ताकि हम फिर से शांतिपूर्ण तरीके से साथ रह सकें।

बताते चले कि मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष बीजेपी को निशाना बना रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री सदन के बाहर इस पर बयान देते हैं लेकिन मणिपुर पर चर्चा को नोटिस देने के बाद भी मुझे इस पर सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो देश की बेइज्जती का सवाल नहीं है बल्कि ये दुख का मामला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुद्दा यह नहीं है कि यह देश के लिए शर्म की बात है। मुद्दा मणिपुर की महिलाओं को हुए अपार दर्द और आघात का है। हिंसा तुरंत रोकें। सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है लेकिन यह बहुत कम और काफी देर से किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मणिपुर में चार मई को हुई घटना का वीडियो देखने के बाद देश की माताएं और बहनें विलाप कर रही हैं। वीडियो में भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाती दिखती है। यह अराजकता बंद होनी चाहिए....केन्द्र की नीतियों के कारण देश जल रहा है। इससे पहले मोदी ने संसद के बाहर पहली बार मणिपुर के मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में भयानक गैंगरेप के बाद तीन आरोपियों को महज दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर तंज कसा और कहा कि एक साहसिक नेता, असली नेता सामने आकर समस्या का सामना करता है, वो मुसीबत आने पर चुप्पी साधकर कमरे के अंदर नहीं बैठता। ये बेहद दुख की बात है कि पीएम मणिपुर मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर भी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने बयान दिया कि ये एक घटना नहीं है बल्कि ऐसी और घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं तो उन्होंने इस बारे में क्या किया। उन्होंने दोषियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा? वो अब तक कर क्या रहे थे? अब वीडियो सामने आने के बाद वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पकड़ा गया, जबकि वीडियो में कई लोग नजर आ रहे हैं। वही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मई महीने में ही मणिपुर का दौरा किया था और इसके बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि हिंसा शुरू होने के

अनुसुइया उइके

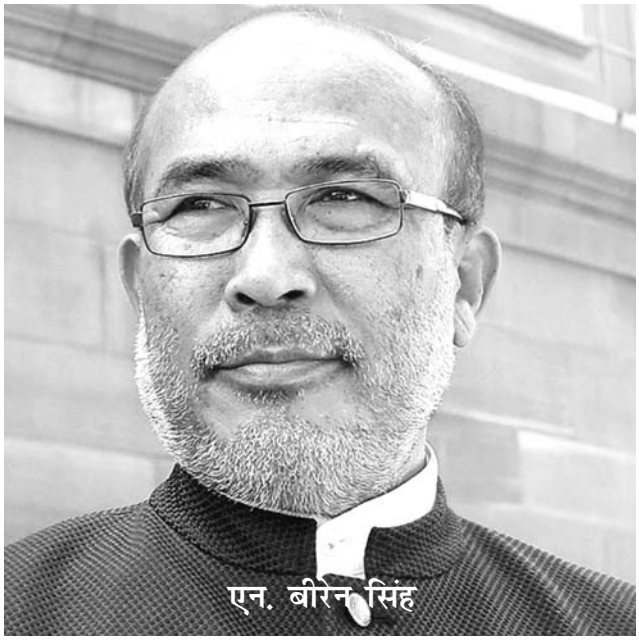

एन. बीरेन सिंह

बाद से पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूछा है कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा सकते। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2 महिलाओं को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले को अत्यंत दुखद और शर्मनाक करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि घटना को लेकर अब जो राजनीति की जा रही है वह भी अनुचित और चिंतनीय है। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ भीड़ द्वारा जो दरिंदगी की गई, वह अत्यंत ही दु:खद, शर्मनाक तथा दिल को दहलाने वाली घटना है। राज्य व केन्द्र की सरकार को भी ऐसे आपराधिक तत्वों को इतनी सख्त सजा दिलवानी चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की आगे कहीं भी पुनरावृत्ति न हो सके। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में मायावती ने कहा, लेकिन इस घटना को लेकर अब जो राजनीति की जा रही है वह भी अनुचित एवं चिंतनीय। संसद में इस पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इस घटना का माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी खुद संज्ञान लिया है, जिसे दबाया नहीं जा सकता है अर्थात् मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना जरूरी है। मणिपुर में एक समुदाय के लोगों की भीड़ द्वारा दूसरे समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की चार मई की घटना का वीडियो सामने आने के बाद राज्य के पर्वतीय हिस्से में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और मामले पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है।

CHIEF MINISTER
MANIPUR

D.O.No 1/24/2023-CM

Imphal,
30 June, 2023

Hon'ble Governor Madam,

I hereby submit my resignation as Chief Minister of Manipur. I thank you for your cooperation and guidance during the past few months.

With kind regards,

Yours sincerely,

(N. Biren Singh)

Smt. Anusuiya Uikey,
Hon'ble Governor of Manipur,
Raj Bhawan,
Imphal

मणिपुर में हिंसा रोकने और शांति बहाल करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली, बिहार, झारखंड, केरल, गोवा आदि राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और क्रांतिकारी युवा संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ता तख्तियां और बैनर लेकर जंतर-मंतर पर एकत्र हुए। इन तख्तियों और बैनरों पर 'मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस्तीफा दो' और 'मणिपुर में हिंसा समाप्त करो' जैसे संदेश लिखे थे। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने एक बयान में कहा कि केवाईएस इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से तुरंत इस्तीफा देने की मांग करता है। वहीं, इस मामले पर झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। लगभग 10 अलग-अलग आदिवासी संगठनों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला, जहां प्रतिभागियों ने कथित तौर पर हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मणिपुर में हो रही हिंसा में अब तक 160 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। केंद्रीय सरना समिति (केएसएस) के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना ने देश को शर्मसार कर दिया है। हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मामले को गंभीरता से लेने की अपील करते हैं। हम मांग करते हैं कि मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस बीच, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में गोवा में एक महिला ने अपना सिर मुंडवा लिया। समान विचारधारा वाले नागरिकों के एक समूह ने घटना की निंदा करते हुए पणजी के आजाद

मैदान में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। एक ओर प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नारे लगाए, तो समूह की एक महिला ने अपना सिर मुंडवा लिया।

सनद् रहे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीमकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम वीडियो देखकर बहुत डिस्टर्ब है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। सीजेआई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस प्रकार की घटना अंतर-आत्मा को हिला देने वाली है, ये संविधान के अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के बीच महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। ये घटना बेहद परेशान करने वाली है। ये संविधान और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि ऐसी घटनाएं फिर न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। चंद्रचूड़ ने कहा कि वीडियो भले ही मई का हो पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। अदालत ने कहा कि यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। पीठ ने केंद्र तथा राज्य सरकार से फौरन कदम उठाने और उसे यह बताने का निर्देश दिया कि क्या कार्रवाई की गई है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इस तथ्य से अवगत है कि वीडियो 4 मई का है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है। पीठ ने कहा, हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे और अगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे।

दूसरी तरफ मेइती समुदाय के प्रभावशाली संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटिग्रिटी (सीओसीओएमआई) ने भी एक बयान जारी करके कहा कि वह ''मणिपुर के सुदूर गांव में दिन-दहाड़े दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की बर्बर और असभ्य हिंसक घटना'' की कटु आलोचना करता है। बयान में कहा गया कि सीओसीओएमआई आरोपियों को ढूंढ़ निकालने का हर प्रयास कर रहा है, फिर चाहे वे किसी भी कोने में हों। बयान में कहा गया कि वीडियो क्लिप को लेकर पूरा मेइती समुदाय शर्मिंदा और गुस्से में है। सीओसीओएमआई इस पर यकीन रखता है कि इस जघन्य घटना में शामिल लोगों को मेइती समुदाय किसी रूप में नहीं बख्शेगा और अपराध में शामिल सभी लोगों को समुचित दंड दिया जाएगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, कुकी-जोमी समुदाय से जुड़ी इन महिलाओं के साथ 4 मई को मैतेई बहुल थोबल जिले में यौन उत्पीड़न हुआ था। हालांकि इनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की एफआईआर 18 मई को कांगपोकपी जिले में दर्ज की गई। इसके बाद इस केस को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया गया। इन महिलाओं ने अपनी शिकायत में बताया है कि वीडियो में सिर्फ दो महिलाएं नजर आ रही हैं लेकिन भीड़ ने एक 50 वर्षीय महिला को भी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। एफआईआर में कहा गया है कि एक युवा महिला के साथ दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार भी किया। मैतेई लोगों का दावा है कि उनके लोगों के साथ भी इसी तरह की बर्बरता के कई वीडियो हैं, लेकिन वो शेयर नहीं हुए। कइयों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी को बयान जारी करने से पहले वीडियो की सत्यता जांचनी चाहिए।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2023

S.O. 2424(E).—Whereas on 3rd May, 2023, large scale violence broke out in the State of Manipur and as a result of the violence, many residents of Manipur lost their lives and several other got seriously injured; their houses and properties were burnt down as a result of arson and many of them were rendered homeless.

And whereas, the Government of Manipur recommended on 29th May, 2023 for institution of Judicial Inquiry Commission to look into the causes and associated factors of the crisis and the unfortunate incidents happened on 3rd May, 2023 and afterwards under the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952;

And whereas, on the recommendation of the Government of Manipur, the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, incidents of violence in Manipur;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoint a Commission of Inquiry consisting of following:

I.	Honourable Justice Ajai Lamba, former Chief Justice of Gauhati High Court	Chairperson
II.	Shri Himanshu Shekhar Das, IAS (Retd.): JAM: 1982	Member
III.	Shri Aloka Prabhakar, IPS (Retd.): TL:1986	Member

2. The Terms of Reference of the Commission shall be as follows:

(i) The Commission shall make inquiry with respect to the following matters:

a) the causes and spread of the violence and riots targeting members of different communities, which took place in the State of Manipur on 3rd May 2023, and thereafter;

b) the sequence of events leading to, and all the facts relating to such violence;

c) whether there were any lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any of the responsible authorities/individuals;

d) the adequacy of the administrative measures taken to prevent, and to deal with the said violence and riots:

e) to consider such matters as may be found relevant in the course of inquiry.

(ii) The inquiry by the Commission shall also be in regard to:

a) complaints or allegations that may be made before the Commission by any individual, or association, in such form and accompanied by such affidavits, as may be specified by the Commission, and

b) such instances relatable to Paragraph 2(i) (a) to (e) as may be brought to its notice by the Government of Manipur.

3. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than six months from the date of its first sitting.

4. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before said date on any of the matters mentioned in paragraph 2.

5. The headquarters of the Commission shall be at Imphal.

6. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the Inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[F. No. 8/3/2023-NE. I]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

गौरतलब हो कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले इसे जारी करना राजनीति है। शर्मा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ विपक्ष शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाएं भाजपा शासित मणिपुर या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं। भाजपा नेता ने कहा कि 'इस घटना के संबंध में यह मामला बहुत पहले ही दर्ज किया गया था, इसका वीडियो उपलब्ध था। यह संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जारी हुआ। इसलिए, इसमें कई प्रकार की राजनीतिक चीजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह एक वीभत्स घटना है और वीडियो जारी होने के समय के बावजूद दोषियों को माफ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो जारी होने की तारीख चाहे जो भी हो, घटना की निंदा की जानी चाहिए, दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, आपको पूरे मणिपुर या पूर्वोत्तर को बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर खासकर मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं कम होती हैं। लेकिन ऐसी छवि बनाई जा रही है कि मणिपुर में ऐसा हर दिन होता है। यदि आप पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की दुष्कर्म की घटनाओं की तुलना मणिपुर से करें, तो यह मणिपुर में कम है। शर्मा ने कहा कि आप बार-बार राज्य का नाम क्यों लेते हैं? जैसे कि कांग्रेस शासित राज्यों में दुष्कर्म की कोई घटना नहीं होती! यह गलत है। लोग घटना की निंदा कर रहे हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन राज्य को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

बहरहाल, मणिपुर की दर्दनाक घटना के 79वें दिन कठोर हो चुकी अंतरात्मा में साहस बटोरकर केवल छत्तीस सैकंड का संदेश देश को सुनाते वक्त क्या प्रधानमंत्री की जुबान जरा भी लड़खड़ाई या कांपी नहीं होगी? प्रधानमंत्री ने जब बिना नजरें झुकाए हुए कहा होगा कि उनका हृदय दुख और क्रोध से भरा हुआ है और जो कुछ हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाला है तो क्या देश ने कोरोना काल की तरह ही उनके कहे की सत्यता पर पूरा यकीन कर लिया होगा? क्या हर नागरिक को उनके इस आश्वासन पर पूरा भरोसा हो गया है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा? क्या मणिपुर के असली दोषियों की पहचान कर ली गई है? प्रधानमंत्री की ओर से इस सवाल का जवाब मिलना बाकि है कि मणिपुर जब जल रहा था और विपक्ष उनसे हस्तक्षेप का लगातार अनुरोध कर रहा था, वे विदेश यात्राएँ क्यों कर रहे थे? उनके मुंह से सांत्वना का एक शब्द भी तब क्यों नहीं फूटा जब फ्रांस यात्रा के दौरान ही यूरोपीय संसद मणिपुर की घटनाओं को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही थी? मणिपुर की त्रासदी, जिसमें महिलाओं को उनकी निर्वस्त्र परेड और बलात्कार के लिए राज्य की पुलिस द्वारा ही हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया गया था, का संबंध सिर्फ उत्तर-पूर्व के एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य से ही नहीं है। उसका संबंध देश और दुनिया की तमाम महिलाओं की अस्मिता और आत्माओं के साथ जुड़ा

गया है। मणिपुर की घटना सत्ता में बने रहने के लिए अपने ही नागरिकों के खिलाफ उनके ही हित-संरक्षकों की दिल दहला देने वाली साजिश है! क्या इस बात पर राष्ट्रीय शोक नहीं मनाया जाना चाहिए कि कथित तौर पर भारत द्वारा बेचे जाने वाले हथियारों की मदद से एक क्रूर सैन्य तानाशाही के पैरों तले रौंदे जा रहे म्यांमार की सीमा से लगे 32 लाख की आबादी के मणिपुर में चार मई को हुई वीभत्स घटना के 140 करोड़ जनता के संरक्षक तक पहुंचने में 78 दिन लग गए! कल्पना की जा सकती है कि विशाल देश के उन सुदूर इलाकों, जहां मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं, की द्रौपदियों और निर्भयाओं के हाल क्या बनते होंगे! कितने हाथरस, उन्नाव, कठुआ और उत्तराखंड रात-दिन जन्म लेते होंगे? कितनी लाशें पुलिसिया संरक्षण में आधी रात को जलाई जाती होंगी और उनके समाचार इंद्रप्रस्थ के भीष्म पितामहों के कानों तक कितने महीनों में पहुंचते होंगे? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए जरा भी शर्म नहीं महसूस की कि इस तरह की सैकड़ों शिकायतें राज्य में दर्ज हुई हैं और खबरों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सांप्रदायिकता के बल पर सत्ता की राजनीति करने वाली हुकूमतें हिन्दी-भाषी राज्यों के हिंदू-मुस्लिम संघर्षों और दिल्ली से ढाई हजार किलोमीटर दूर स्थित मणिपुर के मैतेई-कुकी तनाव के बीच कोई भेदभाव नहीं करतीं! मणिपुर की त्रासदी ने भारत के ही एक अति-संवेदनशील भूभाग को भारत की ही आत्मा से और दूर कर दिया

है। वहां के नागरिकों को महसूस ही नहीं होने दिया जाता है कि वे भी हमारे ही शरीर के अंग हैं। मणिपुर की सभी हुकूमतें प्रेस की आजादी पर हमले के मामले में भी कुख्यात हैं। हुकूमत चाहे किसी भी दल की हो। सभी एक जैसी हैं। कोई 15 साल हुए होंगे। तत्कालीन सरकार द्वारा संपादकों की गिरफ्तारी और मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की पड़ताल करने इम्फाल पहुंचे एक स्वतंत्र जांच दल के सदस्य के रूप में नागरिकों, दुकानदारों से चर्चा करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात का अवसर प्राप्त हुआ था। कांग्रेस के ओकरम इबोबी सिंह तब मुख्यमंत्री थे। भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोपों से वे और उनकी सरकार घिरी हुई थी। मणिपुर प्रवास के दौरान जितने भी नागरिकों और दुकानदारों से तब बातचीत करने का मौका मिला चर्चा की शुरुआत उनके द्वारा पूछे गए इसी एक सवाल से होती थी: 'इंडिया से आए हैं? इंडिया में किस शहर से?' सवाल किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जिस इंडिया के प्रधानमंत्री हैं क्या उसमें मणिपुर शामिल नहीं है? मणिपुर में इंटरनेट की सुविधाएं बहाल हो जाने दीजिए! प्रेस को आजाद हो जाने दीजिए! फिर देखिए किस तरह की कितनी व्यथाएं छप्पन इंच की छातियों को भेदती हुई वहां से फूटती हैं! कौन किससे पूछेगा और कौन जवाब देगा कि तीन मई के बाद से जारी विध्वंस में जो सैकड़ों लोग मारे गए वे कौन थे? वे हजारों जिन्होंने जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य मिजोरम में शरण ली वे कौन हैं? वे हजारों जिन्हें असम के सिलचर और मिजोरम से अब मणिपुर वापस लौटना पड़ रहा है वे कौन हैं? तीन सौ से ज्यादा चर्चों में आग किसने और क्यों लगाई? सोशल मीडिया पर वायरल आंकड़ों पर यकिन करें तो इस समय प्रत्येक बत्तीस मणिपुरी नागरिक पर सेना का एक जवान तैनात है। स्थानीय पुलिस अलग से है। शांति फिर भी स्थापित नहीं हो पा रही है! गुजरात से लगाकर मणिपुर तक सभी तरह के नागरिक उत्पीड़नों के प्रति सत्ता

नरेन्द्र मोदी

की अपाहिज संवेदनशीलता के पीछे सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं-पहला तो यह कि सत्ता के सर्व-शक्तिमान होने का यह संदेश नागरिकों को पहुंचाना कि उसके फैसलों को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा यह कि पिछले दो दशकों में देश को इतनी सांप्रदायिक हिंसा से रूबरू करा दिया गया है कि सत्ता ने सामान्य नागरिक की तरह से आहत और प्रताड़ित महसूस करना बंद कर दिया है! मणिपुर की घटना ने देश की उन करोड़ों महिलाओं की आत्माओं पर प्रहार किया है, जिनके समर्थन के बल पर मोदी 2014 में सत्ता में काबिज हुए थे और आगे भी बने रहना चाहते हैं। मणिपुर की आग किसी दिन बुझेगी भी और आग में झोंके गए घरों, मंदिरों और चर्चों का पुनर्निर्माण भी होगा। जिन लोगों ने दूसरे राज्यों में शरण ले रखी है वे भी एक दिन वापस अपने ठिकानों पर लौटेंगे। एक चीज अगर वापस नहीं लौटी तो वह नागरिकों का दिल्ली की हुकूमत में उनका यकिन होगा। मणिपुर को उत्तर-पूर्वी इलाके का कश्मीर बनने से रोका जाना चाहिए! इस मामले में राज्य सरकार की निष्क्रियता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई लोगों ने तो यहां तक सवाल उठाया क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 20 जुलाई को चुप्पी तोड़ी। सिंह ने कहा कि बहुत लोग मारे गए। हजारों एफआईआर दर्ज हुई हैं। आप लोगों को एक केस दिख रहा, यहां ऐसे सैकड़ों केस हैं। ये वीडियो कल लीक हुआ। इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री के बयान से अनुमान लगा सकते हैं कि वह जनता को कैसी सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी निर्वस्त्र महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद अन्ततः चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं और कौन-कौन हैं, वह अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी की टिप्पणी काफी तीखी है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया पहले आ जाती तो शायद मणिपुर के जो आज हालात हैं, वह इतने बुरे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना को संज्ञान लिया है, लेकिन कुछ समय पहले शीर्ष अदालत ने ही कुकी समुदाय की सुरक्षा मांगने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। लेकिन, क्या पीएम के पीड़ा और गुस्सा व्यक्त करने से पूरे मामले की इतिश्री हो जाएगी? क्यों नहीं इस पूरे मामले से निपटने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी यह हिम्मत दिखा पाएंगे? दिगर बात है कि संसद के मानसून सत्र से पहले यदि वीडियो सामने नहीं आता तो शायद उनकी चुप्पी अभी भी नहीं टूटती। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय क्रोध से भर गया, देश शर्मसार हुआ। क्या पीएम को देश के गृहमंत्री से जवाब नहीं मांगना चाहिए? क्या यह गृहमंत्री के फेल्युअर नहीं है? मुख्यमंत्री बिरेन सिंह का यह कहना बहुत बचकाना है कि राज्य में इस तरह के हजारों केस हैं। इसीलिए इंटरनेट बंद है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। मणिपुर की घटना को लेकर विपक्षी दल तो राज्य और केन्द्र सरकारों पर निशाना साध ही रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। हंगामे के चलते संसद ठप है। इस घटना के विरोध में दिल्ली, बिहार, झारखंड, केरल, गोवा आदि राज्यों में लोगों ने प्रदर्शन किया। फिल्म निर्माता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा सेन मणिपुर की घटना पर प्रतिक्रिया के लिए आग्रह करने पर रो पड़ीं। उन्होंने इसे इस घटना को 'नारीमेध यज्ञ' करार दिया। बंगाली अभिनेता परमब्रत चटर्जी ने सवाल उठाया कि क्या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति तालिबान शासित अफगानिस्तान से बेहतर है? इस घटना को लेकर सवाल यह भी उठते हैं कि कानून व्यवस्था किसके हाथ में थी? आखिर मणिपुर पर आंखें किसने मूंदी? कान किसने बंद किए? मणिपुर को राजनीति का शिकार किसने होने दिया? आखिर मणिपुर के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अब किसे दोष देंगी?

चुनावी चाणक्य अमित शाह ने संभाली

मध्यप्रदेश की चुनावी कमान

मध्यप्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रखने के लिए अब भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी चुनाव कमान अपने हाथों में ले ली है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह लगातार मध्यप्रदेश के दौरे पर है। इस सप्ताह में दूसरी बार अमित शाह फिर भोपाल आ रहे है। गुरुवार दोपहर तक भोपाल में रहने वाले अमित शाह शनिवार को फिर भोपाल पहुंच रहे है, जहां वह पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह 30 जुलाई को इंदौर में बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। दरअसल मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा शाह फॉर्मूलेश पर लड़ने जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में पूरी चुनावी कमान- विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय

नेतृत्व ने पूरी चुनावी कमान को अपने हाथों में ले लिया। पीएम मोदी के चेहरे पर मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भाजपा की पूरी चुनावी तैयारियों की कमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमिता शाह ने अपने हाथों में ले ली है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनावी प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाने के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाकर पूरी चुनावी बागडोर केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में ले ली है।

☞ **चुनाव अभियान समिति के हाथों में पूरा कंट्रोल :-** विधानसभा

बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य के कुछ हिस्सों में 'विजय संकल्प यात्रा' निकालेगी। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार देर रात भाजपा की कोर समिति की यहां 4 घंटे तक चली बैठक में यह फैसला किया गया। ये यात्राएं उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और चित्रकूट शहरों से निकाली जाएंगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं सितंबर में निकाली जा सकती हैं, लेकिन इन यात्राओं को जल्द ही अंतिम रूप देकर घोषणा की जाएगी। पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार देर रात भाजपा की कोर समिति की यहां 4 घंटे तक चली बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और चित्रकूट शहरों से निकाली जाएंगी। उज्जैन में विजय संकल्प यात्रा निकालकर पार्टी का लक्ष्य मालवा क्षेत्र को कवर करना है, जबकि जबलपुर एवं सागर में इसका उद्देश्य क्रमशः महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचना है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि ग्वालियर और चित्रकूट में विजय संकल्प यात्रा चंबल और विंध्य क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी की योजना इन यात्राओं को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अपने शीर्ष नेताओं को शामिल करने की है। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मार्च में वहां ऐसी चार यात्राएं निकाली थीं। हालांकि भाजपा इस दक्षिणी राज्य में सत्ता बरकरार रखने में विफल रही, क्योंकि जनादेश कांग्रेस को मिला। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 'जन आशीर्वाद यात्रा' निकाली थी।

चुनाव के लिए भाजपा का पूरा चुनाव प्रबंधन केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में रहेगा। तीन केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिह तोमर, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी देकर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है। प्रदेश भाजपा दफ्तर में पार्टी का चुनावी कार्यालय शुरु हो चुका है। वहीं पार्टी के इलेक्शन वॉर रूम और चुनावी मैनेजमेंट कार्यालय में बाहर से प्रोफेशनल टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ चुनाव से पहले पार्टी में टिकट दावेदरों से वन-टू-वन चर्चा करना और और असंतुष्ट नेताओं को मानने का काम भी चुनाव अभियान समिति करेगी। सितंबर से विजय संकल्प यात्रा-विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। खास बात यह है कि पार्टी अलग-अलग अंचल में उस अंचल के पार्टी के प्रभावी नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी सौंप सकती है। उज्जैन से शुरु होने वाली पार्टी की विजय

संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर सकते है। इसके साथ मालवा-निमाड़ में यात्रा की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को, ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, महाकौशल में प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह को दी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे।

☞ **नाराज कार्यकर्ताओं को मानने में जुटी भाजपा** :- 2018 विधानसभा चुनाव में हुई चूक से सबक लेते हुए भाजपा इस बार चुनाव में पहले नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पर अपना पूरा फोकस कर दिया है। प्रदेश चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनावी अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर लगातार पार्टी के पुराने और नाराज कार्यकर्ताओं से मिल रहे है। अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को दो टूक शब्दों में स्पष्ट निर्देश दे दि है कि आम जनता के साथ कार्यकर्ताओं को भरोसा जीतना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अनुभवी और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने बात कही है।

☞ **हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलनः**- केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद हर विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। विधानसभा वार होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद के साथ विधानसभा में रहने वाले पार्टी के वर्तमान और पूर्व प्रदेश पदाधिकारी शामिल है। इसके साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा समर्थित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभी मंडल कार्यसमिति और मोर्चा के मंडल कार्यसमिति के सदस्य शामिल होंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी का पूरा फोकस है कि पार्टी के अंसतुष्ट और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाए जाए।

लाडली बहना योजना का लाभ उठा सकेंगी महिलाएं

मध्यप्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार की ओर लॉंच की गई लाड़ली बहना योजना का 25 जुलाई से दूसरा चरण शुरु हो रहा है। 25 जुलाई से लाड़ली बहना योजना के लिए 21 साल से उपर की महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेगी। इन महिलाओं को सितंबर से योजना का फायदा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 21 से 23 वर्ष आयु की बहन-बेटियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही योजना में वे बहनें भी शामिल होंगी, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन ट्रैक्टर होने से फोरव्हीलर के मापदंड की वजह

से योजना में शामिल नहीं हो पाई है। इन बहनों को भी 1000 रूपए और बाद में राशि बढ़ने पर बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। रीवा से जारी होगी तीसरी किश्त-लाड़ली बहना योजना की तीसरी किश्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा से जारी करेंगे। 10 अगस्त को रीवा में होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हितग्राही महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों के खाते में राशि जारी करने के लिए प्रतिमाह की 10 तारीख तय है। अगले माह 10 अगस्त को रीवा से योजना की राशि प्रदेश के सभी गाँवों और वार्डों में रहने वाली लाड़ली बहनों क खाते में डाली जाएगी। इस बीच 21 से 23 साल तक की लाड़ली बहनों के रजिस्ट्रेशन का अभियान भी आरंभ हो जाएगा। लाड़ली बहनों के साथ पौधारोपण मुख्यमंत्री ने भोपाल में 21 से 23 वर्ष आयु समूह की बहन-बेटियों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में जोड़ने के प्रतीकस्वरूप बहनों के साथ पौधा-रोपण किया। मुख्यमंत्री ने पीपल, बरगद, कदम्ब, करंज, महुआ, खिरनी, आम और नीम के पौधे रोपे।

विधानसभा चुनाव से पहले
किसानों के लिए कमलनाथ के पांच बड़े वादे

● विकास सिंह

2018 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान कर्जमाफी का एलान कर 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों को साधने के लिए बड़ा एलान किया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसानों से 5 बड़े वादे किए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि सरकार में आने पर कांग्रेस किसानों का 5 हॉर्स पावर का बिजली के बिल माफ किया जाएगा। इसके साथ किसानों का बकाया बिजली का माफ करने के साथ किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसके साथ किसानों को 12 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में आंदोलनों के दौरान मुकदमे माफ किए जाएंगे। कृषक न्याय योजना का एलान-चुनाव में किसान वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने कृषक न्याय योजना का एलान किया है। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंप पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। किसान कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए उनका कर्ज माफ किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में अत्याचार का विरोध करने पर किसानों के ऊपर अन्याय पूर्ण मुकदमे डाले गए हैं। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध करने, कथित विद्युत चोरी, उपज के विक्रय एवं खाद की कमी के कारण किसान आंदोलन में जिन किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनकी समीक्षा कर यह मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जायेगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कृषि की बढ़ती लागत और डीजल के आसमान छूते दामों को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना को प्रदेश में लागू करने के लिये वचनबद्ध है। हमने योजना के पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है, हम दूसरे चरण में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंपो के लिये निशुल्क बिजली उपलब्ध करायेंगे। कमलनाथ ने कहा कि हम किसानों के दर्द को समझते हैं, बिजली की कमी, खराब ट्रांसफार्मर्स को बदलने, बिजली चोरी के झूठे आरोप और दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को भी वापस लेंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान और आमजन महंगे बिजली बिल की वसूली और भारी बिजली कटौती से त्रस्त है। प्रदेश के गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज-व्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका आधार स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाइयों का सम्मान करने के बजाय शिवराज सरकार ने 18 साल में किसानों के साथ अन्याय किया है। किसानों को एमएसपी पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के सामने रीवा के कार्यक्रम में झूठी घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसंबर 2022 में यह बताया है कि मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शामिल है जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रूपये प्रति माह थी, वह घटकर 8339 रूपये प्रति माह रह गई है। देश के सभी बड़े राज्यों में आमदनी के मामले में मध्य प्रदेश के किसान बहुत नीचे हैं। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए सरकार बनने पर किसान कर्ज माफी लागू करेगी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में पनप रहे नकली बीज बनाने वाले माफिया पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने 2017 में मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई थी। लेकिन अपने किसान विरोधी स्वरूप का परिचय देते हुए शिवराज सरकार ने आज तक मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी है। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून बनाए तो शिवराज सरकार ने उसका पूरा समर्थन किया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी शुरू की थी और पहले चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था लेकिन प्रदेश में सौदेबाजी से बनी भाजपा सरकार ने किसान कर्ज माफी समाप्त कर किसानों को एक बार फिर से कर्ज के दलदल में धकेल दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के 38 लाख किसान डिफाल्टर हो गए।

Rajya Sabha passes bill to prevent film piracy, make India content hub

The Rajya Sabha on Thursday approved Cinematograph (Amendment) Bill 2023 which seeks to contain piracy of films and promote India to become a global content hub. The Upper House passed the Bill by voice vote. Opposition MPs under INDIA alliance parties were not present in the House when the Bill was debated and passed as they had staged a walkout over Manipur violence. Replying to the debate on the Bill, Information and Broadcasting (I&B) Minister Anurag Thakur said that the proposed legislation would protect the interests of artists, content producers, directors and all others engaged in film-making business by putting stringent provisions against piracy.

He echoed the concerns of many members that pirated content today can be sent anywhere in the world within seconds using mobile phones but in the process it destroys years of hard work put in by original content producers. "The Cinematograph (Amendment) Bill 2023 is going to protect their rights and interests," Thakur said. The Minister said that Indian films are providing a lot of soft power and the Bill gives further strength to it. "India being a country of story-tellers, we have all the ingredients to become the content hub of the world and India should emerge as a content hub of the world," Thakur said. He noted that a lot of post-production works of films made outside are currently happening in India, and animation, VFX and gaming (AVG) sector is growing quite rapidly. Over concerns around delay in certification of films by Central Board of Film Certification (CBFC), the Minister said that the agency is an autonomous body and has its own power, and following the amendment even the government would not have revision powers. Unauthorised recording and exhibition of films badly hurts film/content producers and the new law provides for fines upto Rs 3 lakh but can be raised upto 5% of the audited gross production cost of the films. "If the film production cost Rs 1,000 crore then the fine could be to the extent of Rs 50 crore for piracy," the Minister explained. Our government has worked a lot on decriminalisation. This Bill would also promote ease of business and ease of living. But when it would come to destroying someone's lives and livelihoods, the Bill provides for three years imprisonment," Thakur said.

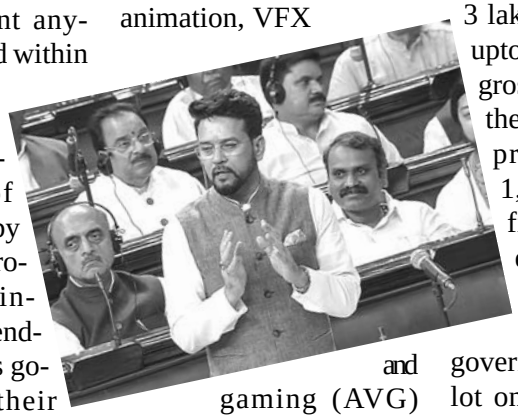

He clarified that merely recording a portion of the film over personal devices but not exhibiting it anywhere would not attract punishment.

Battle lines drawn for Lok Sabha polls : Its to be between Opposition-led INDIA vs BJP-led NDA

The intense and most fierce battle lines were drawn for the next Lok Sabha polls which is due in next 8-9 months away. In counter meets organised by the Opposition parties, for which the Congress has taken the lead in Bengaluru--the second meeting after the one at Patna--and the BJP-Led NDA congregation at the National capital, both the camps vowed to defeat each other in the polls. Both the sections went overboard in the meeting and went the extra mile in criticising each other setting the stage for the fierce battle in the polls.

While the BJP-led alliance, led by Prime Minister Narendra Modi harped on the the aspects of corruption and dynastic politics, the INDIA meet (Indian National Developmental Inclusive Alliance) stressed on dethroning the BJP from power. While both the camps pitched for their only goal--unity for their victory--it remains to be seen who will emerge in this sensational battle that will, in all likely, pitchfork BJP-led and India in what is seen as can be an intense contested polls as for the first time with both have deciding to form a Margabandhu alliance and gird their loins with a view to defeat each other in the polls, which has been viewed as a prestigious matter for them. While the INDIA camp hinged on the alleged misuse of its Central investigating agencies against the Opposition parties, differentiating its stand in various states on corruption cases, the rival Congress-led party said it would take them legally. Political observers see the Congress remarks on Prime Ministerial candidate--that they are not interested in country's interests and are ready to accommodate any leader for INDIA--the BJP is firm that that Mr Modi is the supreme candidate and he will return to power for the third term rpt term in succession. The India camp said they are ready to take the gauntlet posed by the BJP led alliance and expressed con-

fidence that it would emerge victor in a bid to rid the country of the vindictive politics pursued by the BJP-Led government against its political allies. But what is the talking point is that how the Congress will accommodate its about more than 20 allies in seat sharing and who will emerge as the PM candidate remains to be seen, especially in the context of its decision to give up the post in a bid to defeat the BJP and also to keep the INDIA alliance intact. This is just the beginning...the next India Meet in Mumbai will chalk out the future course of action as stated by Tamil Nadu Chief Minister and DMK President M.K. Stalin--who has been steadfast in opposing the BJP and determined to dethrone it from power--which has been the unanimous view of the Opposition parties.

Delhi floods: Water level receding, some roads opened for traffic movement

Delhi Minister Atish said several roads are opened for traffic as water level receding in the national capital.

Taking to Twitter, Atishi wrote, "As water levels in Yamuna have started receding, PWD has started pumping out the water, cleaning the roads and opening them out for traffic. ISBT and Bhairon Marg are open for traffic now. PWD is working on a war footing to ensure that roads and traffic return to normalcy as soon as possible."

The roads are opened for traffic movement, Bhairon Marg- from Mathura Road to Ring Road carriageway, Vikas Marg from ITO to Laxmi Nagar both carriageways, Nishad Raj Marg from Shanti Van to Geeta Colony both carriageways, while Ring Road from Shanti Van to Rajghat and towards ISBT is still closed. Similarly, Boulevard Road - Slip Road- Service Road- Left Turn under Yudhishthira Setu-Ring Road, Chandgi Ram Akhara to Mukarba Chowk Carriageway, Chandgi Ram Akhara to IP College both Carriageways have been opened. Roads have been closed for traffic movement are Ring Road-Majnu Ka Tilla-ISBT-Shanti Van-IP flyover to IP Depot both carriageways, Ring Road-IP Depot to IP flyover to ISBT Carriageway, Salim Garh By-pass, Old Iron Bridge Pusta to Shamshan Ghat and Outer Ring Road-Mukarba Chowk to Wazirabad carriageway, police said. According to traffic police, the entry of heavy goods vehicles has been banned from Singhu Border, Tikri Border, Rajokari Border, Badarpur Border, Chilla Border, Gazipur Border, Loni Border, Apsara Border and Bhopura Border but there are no restrictions on vehicle carrying essential Commodities/services and relief materials. The commuters are advised to postpone travel plans to low-lying areas in view of high alert issued by administration and in case of unavoidable journey the above-mentioned roads should be excluded from travel plans, it said.

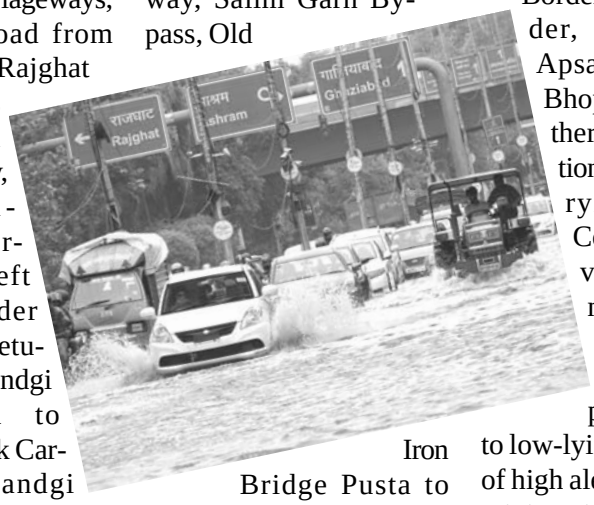

UNIFORM CIVIL CODE भारत के लिए जरूरी, फिर विरोध क्यों?

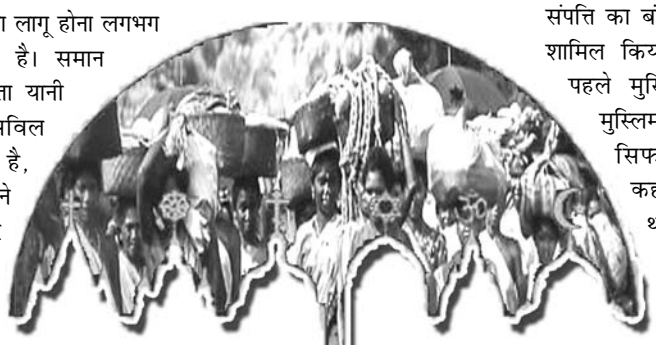

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकेत के बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू होना लगभग तय हो गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है, भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दत्तक और संपत्ति के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून से है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक धर्मनिरपेक्ष कानून। वही इस संदर्भ में अनुच्छेद 44 क्या कहता है, यह जान लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 44 राज्य को सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग पर्सनल लॉ है, जबकि हिन्दू लॉ के तहत सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। हालांकि भारत में फेमिली लॉ को छोड़कर सभी मामलों में सबके लिए एक समान कानून ही हैं। अब, इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मानसून सत्र में लाया जा सकता है। इस बीच, लॉ कमीशन को यूसीसी पर 9.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। मोदी का तर्क है कि एक परिवार (भारत के विभिन्न धर्म) में दो कानून नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब यूसीसी की चर्चा हो रही है, आजादी से पहले और स्वतंत्रता के तत्काल बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस समय विरोध के बावजूद हिन्दू पर्सनल लॉ में बदलाव किए गए थे। 2005 में ही हिन्दू लॉ में संशोधन कर माता-पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबरी का अधिकार दिया गया था।

गौरतलब हो कि भारत में हिन्दुओं के लिए हिन्दू कोड बिल लाया गया था। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिन्दू मैरिज एक्ट, हिन्दू सक्सेशन एक्ट, हिन्दू एडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट और हिन्दू माइनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। हिंदू पर्सनल लॉ में समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार और बदलाव भी हुए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार दिया गया है। वही वर्तमान में भारत में मुस्लिमों के लिए अलग पसर्नल लॉ है। इसके तहत प्रमुख रूप से विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा जैसे मामलों को शामिल किया गया है। 2019 से पहले मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को सिर्फ तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। इसके दुरुपयोग के चलते संसद में कानून बनाकर इसे खत्म कर दिया गया। अब तीन तलाक कानूनन अपराध है। हालांकि इससे मिलते-जुलते कानून आज भी मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय में शरीयत एक्ट 1937 के अनुसार उत्तराधिकार और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा होता है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे महिला-पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया था।

ज्ञात हो कि यूसीसी के लिए शाहबानो मामला नजीर बना था। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हालांकि तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बिल के माध्यम से पलट दिया था। हालांकि समान नागरिक संहिता के समर्थकों का मानना है कि अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यूसीसी से इस परेशानी से काफी हद तक निजात मिलेगी। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए समान कानून होगा, चाहे फिर वह किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों न हो। दूसरी तरफ ऐसा भी माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं खासकर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं के लिए अपने विवाह, तलाक, पिता की संपत्ति में अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में वहां के नागरिकों के लिए एक ही कानून है।

बिडम्बना है कि भारत में जब भी

समान नागरिक संहिता की बात उठती है तो उसका इस आधार पर विरोध किया जाता है इसके आधार पर वर्ग विशेष को निशाना बनाने की कोशिश है। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय और उसके नेता इसका लगातार विरोध

कर रहे हैं। वही एक मुस्लिम अधिवक्ता का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से वर्तमान समाज पर कोई असर नहीं होगा। यह एक राजनीतिक मुद्दा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़ दें तो वर्तमान में सभी लोग समान नागरिक संहिता में ही जी रहे हैं। दरअसल, इसकी जरूरत उत्पन्न कर इस मामले में राजनीति ज्यादा की जा रही है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समाज पर ही होगा। वहीं, दूसरे मुस्लिम अधिवक्ता की राय उलट है। वे कहते हैं कि इससे कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन यह देश के हित में है। एक ही देश में अलग-अलग धर्म के हिसाब से तलाक, विवाह निश्चित ही एक मुश्किल प्रक्रिया है। इसको आसान बनाने के लिए यूसीसी जरूरी है। देश की जनसंख्या को देखते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही इसका विरोध कर रहे हैं। जब 1948 में हिन्दू पर्सनल लॉ में बदलाव की बात सामने आई थी तब भी इससे जुड़े सुधारों का उस समय के दिग्गज नेताओं ने विरोध किया था। 1949 में भी हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया था। सितंबर 1951 में भी इसको लेकर विरोध झेलना पड़ा था। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इस कोड को अलग-अलग एक्ट में बांटते हुए प्रावधानों को लचीला बना दिया था। यदि हम लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को एक ही कानून से शासित होना चाहिए। तलाक या विवाह को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो यह उचित नहीं होगा। जरूरी नहीं कि पति-पत्नी एक ही धर्म के हों, वे हिन्दू और मुस्लिम हो सकते हैं।

बहरहाल, यूसीसी के विरोध में आदिवासी समुदाय पहले से ही कर रहा है। बता दें कि झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया है। उनका मानना है कि यूसीसी यदि लागू होता है तो इससे उनकी प्रथागत परंपराएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही जमीन से जुड़े छोटानगपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पर भी इसका असर होगा। जनजाति बहुल पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी देश की विविधता वाली संस्कृति का हवाला देते हुए इसका विरोध किया है। संगमा की सरकार को भाजपा का समर्थन है। पूर्वोत्तर के अन्य जनजाति समूह भी इस कोड के विरोध में हैं। आज झारखंड में यूसीसी का कड़ा विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो उनका सदियों पुराना जीवन जीने का ढंग खत्म हो जाएगा। अगर यूसीसी आ गया तो ये सबसे ज्यादा किसान और आदिवासी लोगों के लिए दिक्कत होगी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 750 आदिवासी समुदाय हैं और झारखंड में इनकी संख्या 32 है। इनके रीति-रिवाज और इनकी जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के जमाने से ही कुछ विशेष कानून लागू हैं। पर्सनल लॉ के तहत विवाह, विरासत, गोद लेने, बच्चे की कस्टडी, गुजारा भत्ता, बहुविवाह और उत्तराधिकार से संबंधित मामले आते हैं, लोग आम तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात तो जानते हैं लेकिन कई समुदायों के अलग पर्सनल लॉ हैं, जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं। कई

आदिवासी समूहों को डर है कि एक समान सिविल कोड को लागू करने से उनकी परंपराओं पर असर पड़ेगा। मसलन, झारखंड में आदिवासियों की संपत्ति और परंपराओं की हिफाजत के लिए अंग्रेजों के जमाने से ही तीन कानून लागू हैं, जिनमें से पहला है :-

☞ **विल्किन्सन नियम :-** 1837 में ब्रिटिश राज के दौरान लागू किए गए इस नियम के तहत, आदिवासियों के बीच भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए आदिवासी अदालतें स्थापित की गईं। इन्हीं परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार, फरवरी 2021 में चाईबासा के मानकी मुंडा न्याय पंच की स्थापना की गई थी।

☞ **छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम :-** ये कानून 1908 में आया, जो आज भी लागू है। यही कानून आदिवासी भूमि के गैर-कानूनी अधिग्रहण के खिलाफ उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

☞ **संथाल परगना किरायेदारी अधिनियम :-** 1876 में लागू किया गया यह अधिनियम जिला उपायुक्त की इजाजत के बिना संथालों के स्वामित्व वाली भूमि को गैर-संथाल व्यक्तियों या संस्थाओं को बेचने पर रोक लगाता है। इनके अलावा, संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दस राज्यों का जिक्र भी मिलता है, जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी परंपराओं की हिफाजत की बात

कही गई है। इसी तरह से संविधान की छठी अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा की बात की गई है, जहाँ उनकी परंपरा की हिफाजत के लिए जिला परिषद होते हैं। पांचवीं अनुसूची में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा और रख-रखाव के उद्देश्य से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान करती है। झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए सालों से लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि एक देश में एक कानून कैसे चलेगा? पहले से ही हम पाँचवीं अनुसूची में हैं, हमारे लिए छोटानागपुर अधिनियम है, संथाल परगना अधिनियम हमारे लिए है, हमारे लिए विल्किंसन रूल है। हमारे ग्राम सभा को अपना अधिकार है। ये मामला केवल जमीन-जायदाद तक सीमित नहीं है। शादी करने का अपना कस्टमरी लॉ है। यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी का कौन उत्तराधिकारी होगा, उसके लिए हमारा अपना कस्टमरी लॉ है। इस देश में 140 करोड़ जनता है। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक विभिन्न जातीय समुदाय के लोग हैं, अलग-अलग मजहब के लोग हैं, तो उनको आप एक धारा में कैसे खड़ा करेंगे?

ये साफ है कि केंद्र सरकार को आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अनौपचारिक रूप से केंद्र की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जा सकता है। आदिवासी समुदाय भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। दरअसल, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिन्दू दत्तकता और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2 (2) और हिन्दू वयस्कता और संरक्षता अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 3 (2) अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जनजातियों और उप-जनजातियों में विवाह आदि से जुड़ी अलग परंपराएं हैं। बहुविवाह के मामले में 2001 में उच्चतम न्यायालय ने भी एक फैसले में कहा था कि जनजाति से जुड़े लोग हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 (2) के दायरे से बाहर हैं। अतः आईपीसी की धारा 494 के लिए इन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनजाति के लोग अपने समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर सकते हैं।

बहरहाल, समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। इसलिए पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे लागू कर दिया जाए। वह इसे चुनावी मुद्दा भी बना सकती है।

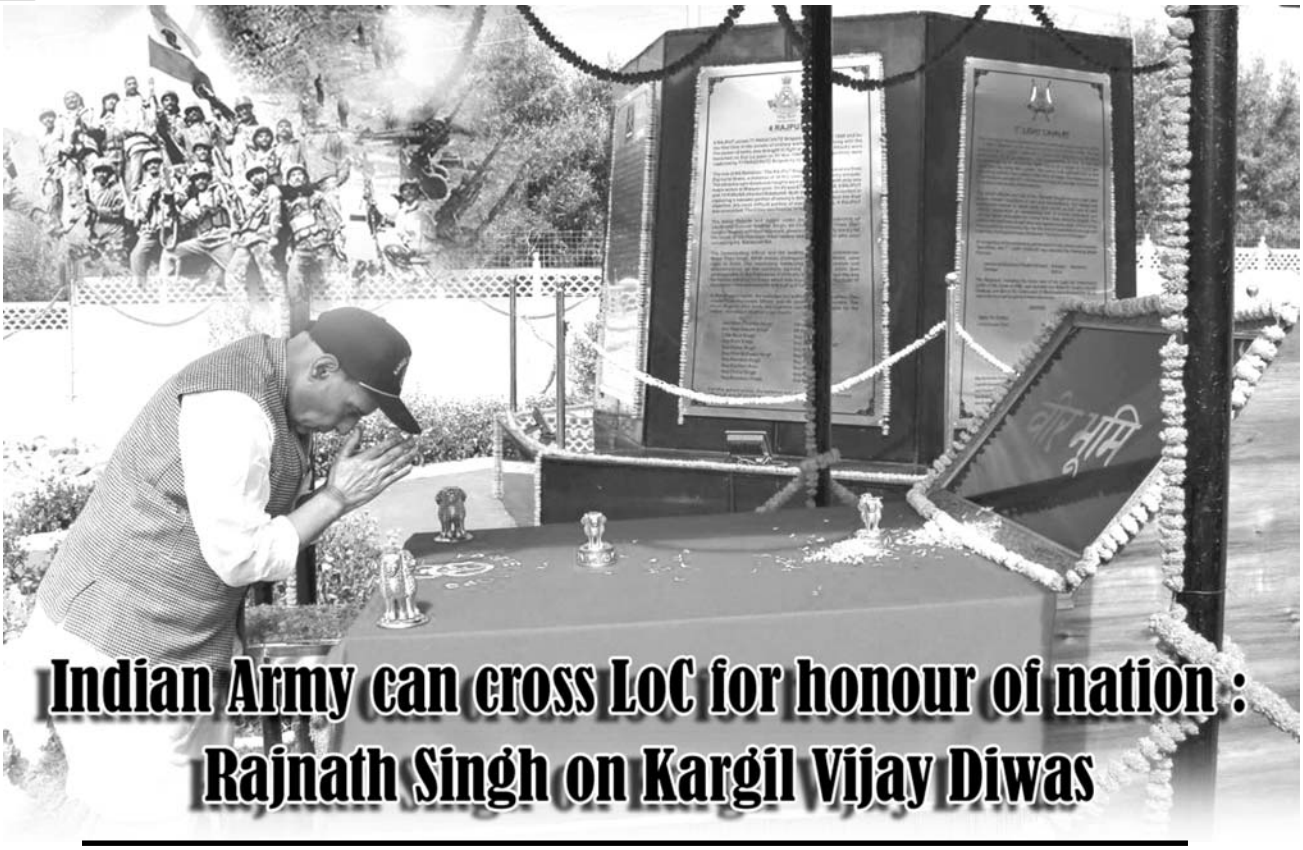

Indian Army can cross LoC for honour of nation : Rajnath Singh on Kargil Vijay Diwas

On Vijay Diwas, Defence Minister Rajnath Singh said the Indian Army can cross the Line of Control (LoC) for the honour of the country. Addressing soldiers after laying a wreath at the Kargil War Memorial in Drass and paying tribute to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War, the Defence Minister on Wednesday said the Indian Army can cross the LoC to safeguard and honour the country.

"At the time of the Kargil War, if we did not cross the LoC, it did not mean that we could not cross the LoC. We can cross the LoC and will cross the LoC in the future if need be", he added. "As long as you (soldiers) are protecting us on the borders, no one can even have the courage to raise their eyes towards India," the Defence Minister said. Singh arrived in Drass, in the Kargil district of Ladakh, on Wednesday for the 24th anniversary of Kargil Vijay Diwas. The day is marked every year to pay homage to the fallen soldiers of the Kargil War. "I salute those brave sons, who sacrificed everything for the protection of the motherland. I salute those brave sons who put the nation first and did not hesitate to sacrifice their lives for it", the Defence Minister said while paying homage at the Kargil War memorial. "Not only in Kargil, but many times since independence till today, your bravery has made the nation proud from time to time," Singh said.

"I want to assure the families and well-wishers of all the brave soldiers who were martyred in the Kargil war that we will never let their sacrifice or their memory fade away. The National War Memorial is a symbol of our commitment", the Defence Minister added.

He said, On this day in 1999, even after winning the war, our forces did not cross the LoC. It is because we are peace-loving, we believe in Indian values, and we have a commitment to international laws."

"Today, on Kargil Vijay Diwas, I would like to say one thing to our countrymen: the honour and dignity of the nation are above everything for us, and for this we can go to any extent," he said. The Defence Minister said, "In recent times, the way the wars are getting prolonged, in the coming times, the public should be ready to participate in the war not only indirectly, but also directly." "I believe that the public has to be mentally prepared for the fact that whenever the nation needs them, they should be ready to help the army", he said, adding "that's why I want to say this to the people of the country, that just as every soldier is an Indian, in the same way every Indian should always be ready to play the role of a soldier".

सीमा हैदर : लवर या जासूस?

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को सूचित किया है कि प्यार ही वह एकमात्र कारक है, जिसके कारण 4 बच्चों की मां एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत पहुंच गई। भारतीय युवक से पाकिस्तानी महिला की दोस्ती एक ऑनलाइन खेल मंच के माध्यम से हुई थी। सिंध प्रांत के कराची की सीमा गुलाम हैदर और भारत में रहने वाले सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलते समय संपर्क में आए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय सीमा और 22 वर्षीय सचिन दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन किराने की दुकान चलाता है। स्थानीय उर्दू दैनिक 'जंग' ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने केवल प्यार के कारण एक भारतीय व्यक्ति (सचिन मीणा) से शादी करने के लिए देश छोड़ा, क्योंकि अभी तक कोई अन्य कारण/मकसद सामने नहीं आया है। खबर में कहा गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, देश छोड़ने की वजह हिंदू भारतीय व्यक्ति से 'प्यार' के अलावा कोई और नजर नहीं आता। रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सीमा को सात साल से कम उम्र के अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सचिन को अवैध अप्रवासियों को शरण देने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। बाद में दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया।

कानून के लिहाज से सीमा को सलाखों के पीछे होना चाहिए या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। देश का एक बड़ा वर्ग यह भी सवाल उठा रहा है कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट या जासूस हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5वीं पास सीमा अंग्रेजी भी

बोल लेती है। सोशल मीडिया पर भी लोग मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मांग भरे हुए, मंगल सूत्र पहने हुए, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती सीमा को देखकर नहीं लगता कि वह हाल में सचिन मीणा की जीवनसंगिनी बनी है। हालांकि दोनों पहली बार नेपाल में मिले थे, दूसरी बार नेपाल में मिलने के बाद उनकी शादी भी वहीं हो गई थी। जिस तरह से सीमा घर में रच बस गई है, वह भी आसानी से गले नहीं उतरता। जिस तरह मीडिया ने इस मुद्दे को हाथोंहाथ लिया है, उससे सीमा और सचिन के प्रति लोगों में सहानुभूति भी पैदा हुई है। एक टीवी चौनल से बातचीत करते हुए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि इस मामले में काफी जल्दबाजी हुई है। इस मामले में इस महिला से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को भी इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए। सिर्फ नाम-पता पूछकर काम खत्म नहीं होना चाहिए। सिंह का तो यहां

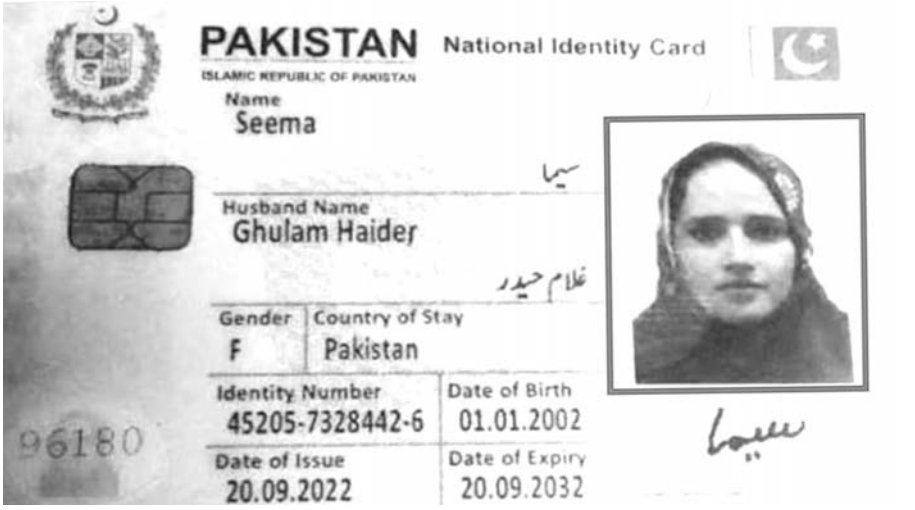

तक कहना है कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। सिंह सीमा को लेकर इस आधार पर भी संदेह करते हैं कि वह चाहती तो टूरिस्ट वीजा लेकर भी आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया। पूर्व डीजीपी विक्रम के संदेह को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पाकिस्तान की हरकतें भी हमेशा से ही भारत विरोधी रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सीमा का भाई भारतीय सेना में है। यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान महिलाओं के माध्यम से भारतीयों को हनीट्रैप के मामलों में फंसाता रहा है। उसकी साजिश का कई बार सुरक्षाकर्मी भी शिकार हो जाते हैं। सीमा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि मुझे खुशी है कि भारत में महिलाओं की इज्जत होती है, लेकिन मैं पाकिस्तान में जहां रहती थी वहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। सीमा ने कहा कि सचिन पाकिस्तान आने को तैयार थे, लेकिन मैंने ही उनको मना किया क्योंकि उनके साथ बुरा हो सकता था।

मीडिया खबरों के मुताबिक सचिन के पड़ोसियों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि सीमा पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। सीमा को देखने के लिए दूर-दूर से सचिन के घर पहुंचते रहे। सचिन के घरवालों ने सीमा को छुपाए रखा। मीडिया खबरों के मुताबिक ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए सीमा भारत में क इ

अन्य लोगों के संपर्क में थी। वह पाकिस्तानी सेना और देश की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ अपने संभावित संबंधों को लेकर एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के रडार पर है। वही सीमा हैदर किसी सुनियोजित साजिश के तहत भारत आई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सीमा हैदर से पूछताछ के आधार पर नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से भी पूछताछ की गई है, जिन्होंने सीमा को बिना वैध दस्तावेजों के आने दिया। दूसरी तरफ सीमा हैदर के पाकिस्तानी पहचान पत्र व पासपोर्ट के जांच में एटीएस उलझ गई है। दोनों पहचान पत्र में जन्मतिथि लिखी हुई है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र सिर्फ 21 वर्ष है, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया है कि वह 27 वर्ष की है और चारों बच्चे उसी के हैं। ज्ञात हो कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पूर्व में दिल्ली-एनसीआर के कई अन्य युवकों से इंटरनेट मीडिया पर संपर्क में थी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार उसने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। सीमा का भाई आसिफ पूर्व में पाकिस्तानी आर्मी में रह चुका है।

At least 3.70 lakh yatris pay obeisance at Amarnath Cave Shrine, surpasses previous total tally

A record number of 3.70 lakh yatris paid obeisance at the Amarnath Cave Shrine in the Kashmir Himalayas, so far surpassing the previous year's total tally, officials said on Friday. With 9,150 yatries performing darshan at the sacred Holy Cave on Friday, the total number of yatris who had paid obeisance at the Shrine reaches 369,288, surpassing the previous total tally of 3.65 lakh, an official spokesman said.

The 62-day-long Amarnath yatra, which commenced on July 1, has achieved a momentous milestone, surpassing the total number of pilgrims from the previous year on Friday. The Yatra will culminate on August 31, Raksha Bandhan day. This year's Yatra has been distinguished by its seamless arrangements, unwavering services, and meticulous management, garnering widespread acclaim and nurturing a sense of harmony among people hailing from diverse backgrounds. This surpasses last year's total of 365,721, signalling a significant increase in the number of devotees undertaking this holy pilgrimage.

Beyond its spiritual significance, the Yatra has also witnessed the arrival of distinguished personalities from various walks of life, including renowned badminton player Saina Nehwal and Bollywood actress Sara Ali Khan. This diverse gathering serves as a testament to the universal appeal of the Amarnath Yatra, attracting individuals from all corners of the globe, united in their reverence for this sacred pilgrimage. The Shri Amarnathji Yatra 2023 has also witnessed a significant increase in the number of foreign pilgrims visiting the holy shrine. The pilgrimage's allure extends beyond national boundaries, drawing people from all over the world to partake in this spiritually enriching experience. The pilgrims have wholeheartedly lauded the administration's tireless efforts in ensuring a smooth and hassle-free journey.

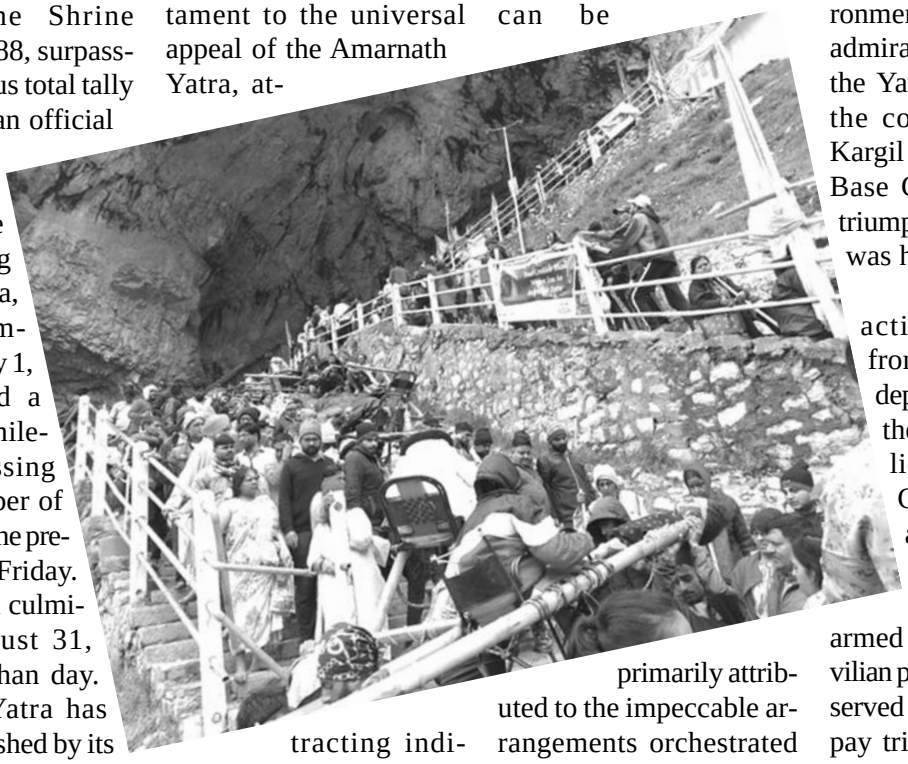

The resounding success of the Shri Amarnathji Yatra 2023 can be primarily attributed to the impeccable arrangements orchestrated by the administration. Every facet of the Yatra, from the provision of langar services to healthcare facilities, sanitation, transportation, and security measures, has been meticulously managed to ensure unparalleled convenience for the pilgrims. The seamless execution of these arrangements has led to a surge in the influx of devotees who are eager to embark on the spiritually enriching journey, and they have expressed their deep appreciation for the well-coordinated efforts. The efficient organisation of the Yatra has provided them with a sense of comfort and security, fostering an environment of gratitude and admiration. Additionally, the Yatra coincided with the commemoration of Kargil Diwas at all Yatra Base Camps, where the triumph of the Kargil War was honoured.

The event saw active participation from various security departments, including the Army, CRPF, Police, NDRF, SDRF, Civil Administration, and Yatries, further strengthening the bond between the armed forces and the civilian population. The Yatra served as an opportunity to pay tribute to the valiant soldiers who sacrificed their lives in the defense of the nation. The Yatra remains a cherished experience for all pilgrims and continues to inspire a sense of reverence and devotion in the hearts of those who undertake this sacred expedition.

Tax Terrorism

की वजह से सुपर रिच छोड़ रहे भारत?

आम भारतीय की भी हालत खराब

● नवीन रांगियाल

एक भारतीय नागरिक को कदम-कदम पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कपड़े खरीदने पर टैक्स, रेस्टोरेंट में खाना खाने पर टैक्स और यहां तक कि रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स और रोड टैक्स चुकाना पड़ता है। कुल मिलाकर एक भारतीय टैक्स पेयर जीवनभर अपनी कमाई एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता रहता है। एक तरह से भारत में सरकार आम आदमी की इनकम में पार्टनर है। यह भी सही है कि टैक्स की इसी व्यवस्था से ही देश का सिस्टम संचालित होता है। लेकिन सवाल यह है कि टैक्स के रूप में इतनी राशि देने के बदले टैक्स पेयर्स को सरकार से क्या मिलता है। सरकार टैक्स पेयर्स की आय में तो पार्टनर है, लेकिन उसके घाटे में उसके साथ नहीं, ऐसा क्यों? भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में निरंतर कमाई यानि स्थिर आय वाले लोगों को कम आय वाले या वंचितों की मदद करने में सहयोग करना चाहिए।

बावजूद इसके इनकम टैक्स देने वाले एक वर्ग को यह लगता है कि उन्हें बदले में सरकार से क्या मिल रहा? टैक्स-पेयर्स यह सोच रहा है कि आखिर सरकार की उसके जीवन में क्या भूमिका है? भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, लेकिन खासतौर से इनकम टैक्स को लेकर लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। कुछ नागरिकों से इस पर चर्चा की गई तो ज्यादातर टिप्पणियों में यह सामने आया कि जब हम सबकुछ खुद ही कर रहे हैं तो सरकार की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। मसलन, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ही इलाज करवाते हैं। प्राइवेट बसों और फ्लाइट में सफर करते हैं। घर का टैक्स चुकाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, रोड पर चलने के लिए न सिर्फ रोड टैक्स बल्कि टोल टैक्स भी चुकाते हैं। इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को गौर से देखें तो नजर आता है कि समाज के ज्यादातर हिस्से ने अपने जीने के लिए एक समानांतर (पेरेलल) व्यवस्था बना ली है या बन गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आदमी के जीवन में सरकार की क्या भूमिका है? आखिर हम किस चीज को सरकार कहते या मानते हैं?

☞ **क्यों उठती है इनकम टैक्स खत्म करने की बात? :-** भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जैसे और भी विशेषज्ञ देश में पर्सनल इनकम टैक्स की जरूरत पर सवाल उठाते रहे हैं। वे इसे खत्म कर देने के पक्ष में हैं। तमाम जानकार यह भी कहते हैं कि भारत में इनकम टैक्स देने वाले को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बल्कि इसके उलट टैक्स-पेयर्स को प्रताड़ना का ही शिकार होना पड़ता है।

☞ **क्या कहते हैं टैक्स विशेषज्ञ? टैक्स बनाम सामाजिक सुरक्षा :-** वड़ोदरा गुजरात में सीए केडी शर्मा एफसीए चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं एवं एक लिस्टेड कंपनी के वाइस प्रेसीडेंट रह चुके हैं। उन्होंने चर्चा में बताया कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे वो खेल हो मनोरंजन या सेवा। सब के लिए कुछ न कुछ टैक्स लगता है। टैक्स देने के बाद भी अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो यह लगभग न के बराबर है। हां, कुछ हद तक बीपीएल वर्ग को नरेगा, स्वास्थ्य, राशन सामग्री आदि के रूप में कुछ सुरक्षा मिलती है, हालांकि यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। जबकि सबसे बुरी मार मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोगों पर पड़ी है जो बहुत महंगी शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं

से जूझ रहे हैं। न ही उन्हें पेंशन मिलती है। जबकि हकीकत में मध्य वर्ग ही हमारी अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्तंभ हैं, हालांकि वे ही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। अब सरकार को चाहिए कि अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं को तर्कसंगत बनाए। जिससे मध्यम वर्ग को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन मिल सके।

☞ **Tañ Terrorism : क्यों देश छोड़ रहे सुपर रिच? :-** मणिपाल ग्रुप के चेयरपर्सन मोहनदास पई ने कुछ समय पहले टैक्स सिस्टम से जुड़ी एक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा था कि अमीर भारतीयों का विदेशों के लिए पलायन चिंताजनक है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए टैक्स टेररिज्म जिम्मेदार है। बता दें कि टैक्स टेररिज्म एक ऐसा टर्म है, जिसे किसी देश की काफी ऊंची टैक्स व्यवस्था की आलोचना में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पई का आशय था कि अमीर भारतीयों के पलायन की वजह भारत में लगने वाला ज्यादा टैक्स है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी 2023 में 6 हजार 500 सुपर रिच लोग देश छोड़ सकते हैं। यही रिपोर्ट बताती है कि 2022 में भारत के 8 हजार अरबपतियों ने अपना वतन छोड़ दिया है। इसके पीछे हालांकि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, आबोहवा और रेजिडेंट बाई इंवेस्टमेंट हैं, लेकिन टैक्स भी एक वजह है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी संसद में बताया है कि 2023 में जून तक 87,026 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, जबकि 2011 से अब तक 17.50 लाख से अधिक लोग अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी जबकि 2021 में उनकी संख्या 1,63,370 और 2020 में 85,256 थी। उससे पहले 2019 में 1,44,017 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। हालांकि इनमें सभी तरह के लोग हैं।

☞ **इन देशों में नहीं लगता है इनकम टैक्स :-** यूएई, मोनाको, बहरीन, ब्रुनेई, केमन आइलैंड, बहामास, बरमूडा जैसे करीब 15 देशों में इनकम टैक्स नहीं लगता है। हालांकि ये देश तेल या अन्य स्रोतों, संसाधनों से भारी कमाई करते हैं और दूसरे ये बहुत छोटे देश हैं। ओईसीडी ने भी इस तरह का प्रयास शुरू किया है कि हर देश कम से कम टैक्स लगाएं। सिंगापुर, चीन जैसे देशों में इनकम टैक्स पर निर्भरता कम है।

☞ **क्या कहते हैं आम टैक्स-पेयर्स :-** इंदौर में एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले हरविंदर सिंह विरदी ने वेबदुनिया को चर्चा में बताया कि अधिकांश भारतीय इनकम टैक्स इसलिए नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने का सरकार से कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। इस सोच के पीछे यही वजह है कि सरकार टैक्स तो लेती है, लेकिन बदले में नागरिक को कुछ नहीं देती। खासतौर से इनकम टैक्स वसूलने के मामले में।

☞ **सरकार मुझे क्या देती है? :-** एक निजी सॉफ्टवेअर कंपनी में काम करने वाले राजीव सिंह ने बताया कि मैं इनकम टैक्स चुकाता हूं, रोड टैक्स भरता हूं। जीएसटी देता हूं। इसके बदले सरकार मुझे क्या सुविधा देती है। क्या सरकार को मुझे एक ईमानदार टैक्स-पेयर होने के नाते कुछ सुविधाएं नहीं देना चाहिए? इसके इतर अगर कल से मैं टैक्स भरने की स्थिति में नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। क्या सरकार मुझे किसी तरह की रियायत या आर्थिक मदद देगी?

☞ **भारत में सरकार नागरिक की इनकम में पार्टनर है :-** इंदौर में व्यापारी राकेश जैन भारत और अमेरिका की सरकार में यही अंतर है। भारत में सरकार नागरिक के बिजनेस और नौकरी में पार्टनर बन जाती है और इनकम टैक्स के रूप में अपना हिस्सा वसूलती है। लेकिन इसके बदले में सरकार अपने नागरिक को कुछ नहीं देती। भारतीय नागरिक जीवनभर टैक्स ही चुकाता रहता है। जबकि इसके उलट अमेरिका में सरकार टैक्स तो वसूलती है, लेकिन रिटायर्टमेंट के बाद पेंशन देती है। या कम से कम संकट के समय में अपने नागरिकों का आर्थिक रूप से ख्याल रखती है। भारत में टैक्स-पेयर सरकार से ये उम्मीद नहीं रख सकता। इंदौर के अकाउंटेंट अनिल जायसवाल ने बताया कि भारत में व्यक्ति उठने से लेकर सोने तक सरकार को टैक्स जमा करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स ने आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार बढ़ती महंगाई और टैक्स की वजह से आम आदमी का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। तेजी से बढ़ती इन्फ्लेशन की वजह से समझ नहीं आ रहा कि व्यक्ति निवेश करे या घर चलाएं।

☞ **करदाता का पैसा आखिर जाता कहां है? :-** एक मीडिया कंपनी में काम करने वाले नागरिक ने अपना नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि बारिश के मौसम में असल रूप में मालूम पड़ता है कि करदाता का पैसा आखिर जाता कहां है। हर शहर में हम देख रहे हैं कि पानी सड़कों पर लबालब भरा हुआ है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर साल यह ही हाल है। हम सड़क पर चलने का टैक्स देते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश से सड़कों पर पानी भर जाता है। घर के आगे सड़क बनाना सरकार का काम है, लेकिन लोग अब इसे भी पैसा देकर और निगम का श्रम लेकर बनवाने को मजबूर हैं। सुविधाएं ना के बराबर हैं और टैक्स हर वस्तु का है। ये कैसा टैक्स सिस्टम है।

☞ **यह भेदभाव क्यों? :-** गरीब, आरक्षित और समाज के निचले तबके से आने वाले वर्ग को सरकार तमाम तरह की सुविधाएं देती है। उनके लिए कई योजनाएं लेकर आती है। यह वर्ग कोई टैक्स भी नहीं देता है। वहीं, मध्यमवर्गीय नौकरीशुदा व्यक्ति अपनी आय से सरकार को टैक्स देता है। लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि ताउम्र टैक्स जमा करने वाले एक टैक्सपेयर को बुर्जुग हो जाने पर पेंशन के रूप में भी इतना कम पैसा मिलता है कि वो उसके दो वक्त की रोटी के लिए भी काम नहीं आता। सवाल यह है कि टैक्स पेयर्स को सरकार इग्नोर क्यों करती है।

☞ **भारत में दो तरह के टैक्स**

हैं :-

☞ **प्रत्यक्ष कर :-** ये वो टैक्स होते हैं, जिन्हें सरकार सीधे आपसे वसूल लेती हैं। जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, टीडी, टीसीएस, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह। इसे प्रत्यक्ष टैक्स या डाइरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं, क्योंकि इन्हें जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, डाइरेक्ट उसी से वसूला भी जाता है। इन्हें भरने वाला आगे चलकर किसी और पर उसका भार ट्रांसफर नहीं कर सकता। टैक्स की भाषा में कहें तो कराघात और करापात इंसिडेंट ऑफ टैक्स दोनों समान व्यक्ति पर होता है। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स ऐसे ही टैक्स हैं।

☞ **अप्रत्यक्ष कर :-** ये वो टैक्स होते हैं जिन्हें सरकार आपसे अप्रत्यक्ष तौर पर वसूल करती है। मतलब यह कि गर्वमेंट ने पहले किसी और से टैक्स वसूल लिया, फिर टैक्स चुकाने वाले ने आगे चलकर किसी और से टैक्स की भरपाई कर ली। इस तरह, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में शामिल करके वसूले जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मनोरंजन कर आदि इसी श्रेणी के टैक्स हैं। हाल ही में आया जीएसटी भी इसी तरह का अप्रत्यक्ष कर है। आर्थिक भाषा में कहें इंडॉयरेक्ट टैक्स में कराघात और करापात दोनों अलग-अलग व्यक्ति पर होता है।

अगर आप एक सीमा से ज्यादा सैलरी पाते हैं तो आपका टीडीएस कट जाता है। इसी तरह, एक निश्चित सीमा से अधिक ब्याज, किराया, कमीशन, इनाम वगैरह पर भी सरकार टीडीएस कटवा लेती है और कुछ खास तरह की खरीदारियों पर टीसीएस वसूल लेती है। इसी तरह एक सीमा से अधिक बिजनेस इनकम होने पर भी आपको एडवांस टैक्स चुकाना पड़ता है। इसी तरह वस्तुओं और सेवाओं के बिजनेस पर जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ता है। एक निश्चित सीमा से अधिक आमदनी पर Surcharge और Cess भी लिए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार, अलग-अलग तरह की आमदनियों पर अलग-अलग तरीकों से टैक्स वसूलती है।

☞ **सरकार टैक्स क्यों लगाती है? :-** सरकार को अपने सिस्टम को ठीक तरह से संचालित करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़े विभागों के संचालन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। देश और राज्यों के विकास के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। ये पैसे सरकार, मुख्य रूप से टैक्सों के माध्यम से ही वसूलती है। चाहे बात बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली पानी वगैरह के लिए खर्च की हो या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते वगैरह देने की। विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे हों या लोंगों के लिए स्वास्थ्य व बीमा सुविधाएं पहुंचाने की हो। लोगों को शिक्षा व रोजगार सुविधाओं के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए, सैन्य व रक्षा संबंधी खर्चों के लिए, कानून व व्यवस्था कायम रखने के लिए, आकस्मिक व आपदा नियंत्रण संबंधी खर्चों आदि के लिए सरकार को धन की जरूरत होती है। कुल मिलाकर देश में कई तरह से टैक्ष्स वसूला जाता है, जिससे टैक्ष्स पेयर्स के मन में सवाल भी है कि आखिर इतना टैक्स वसूलने के बाद भी टैक्स पेयर्स के लिए कोई सरकारी योजना या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है?

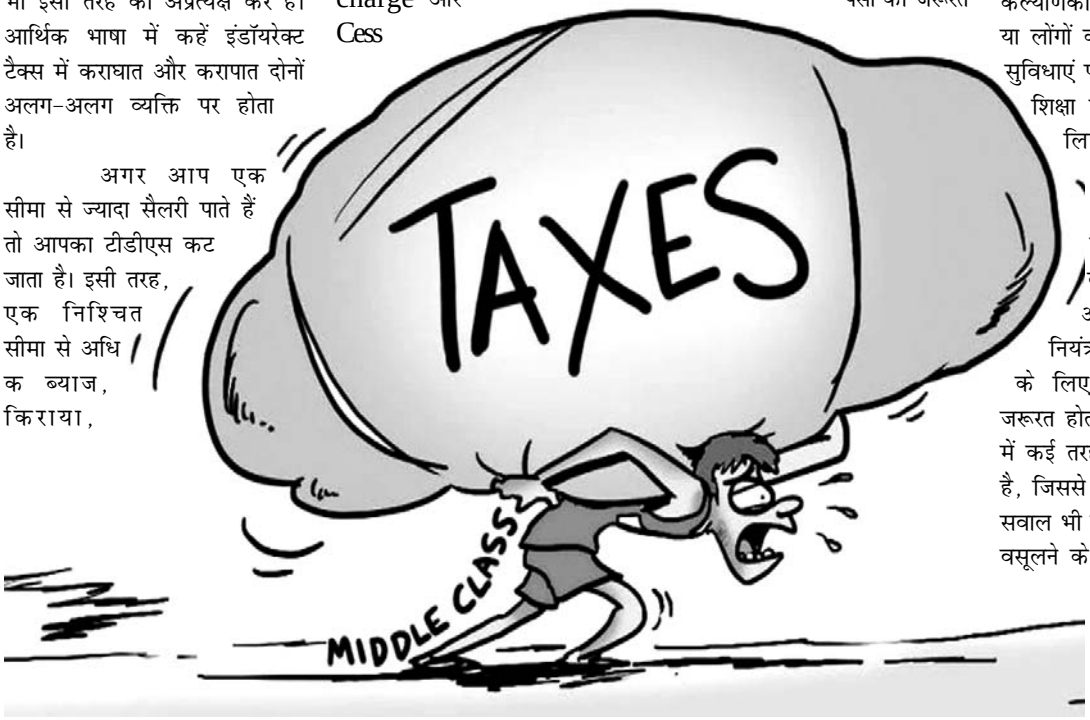

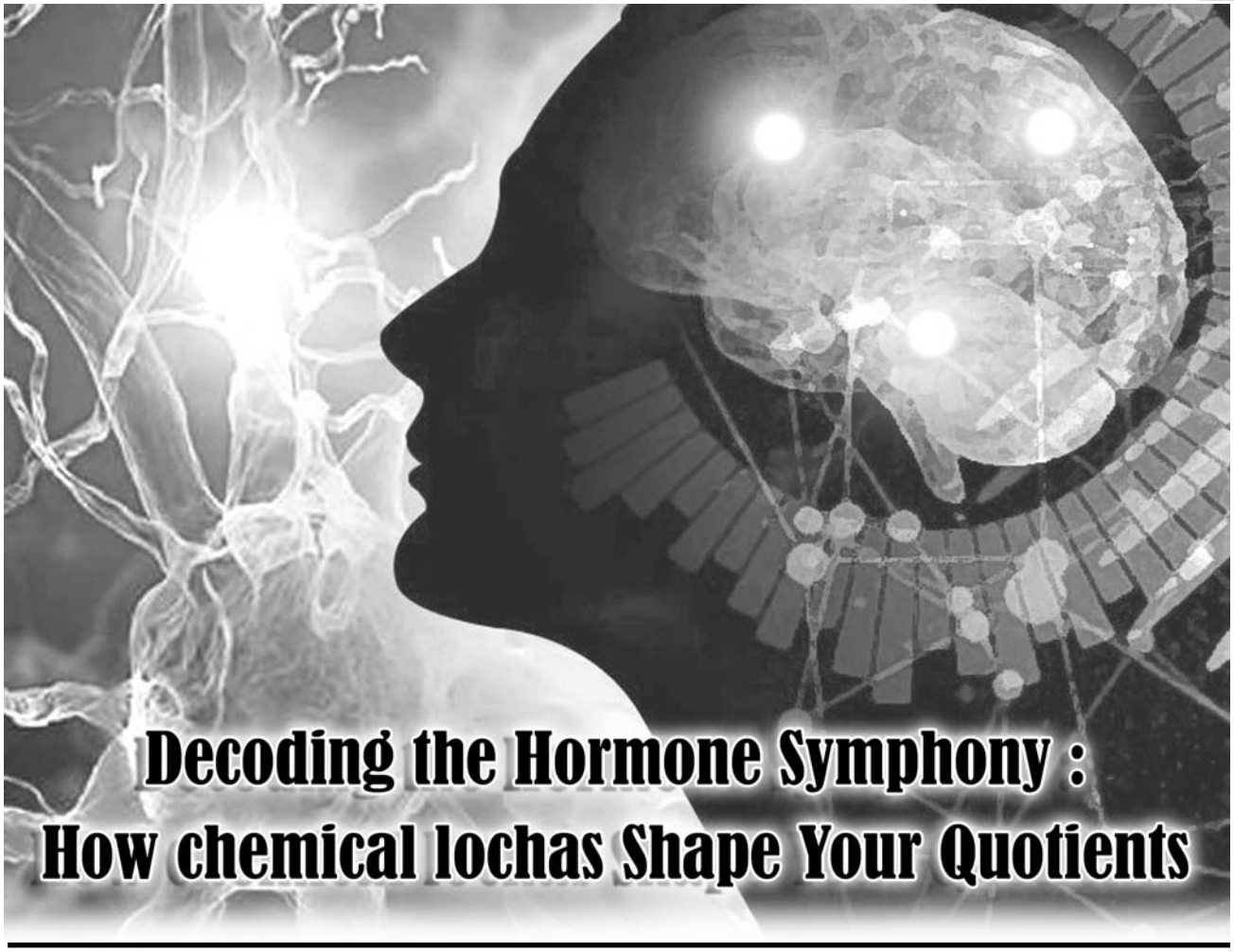

Decoding the Hormone Symphony : How chemical lochas Shape Your Quotients

● **Sandeep Singh Sisodiya**

Hormones hold the key to unraveling the mysteries of human behavior and development. These chemical messengers, such as dopamine, serotonin, endorphins, and oxytocin, have the power to shape our actions, emotions, and overall well-being. But did you know that they also have a profound impact on our IQ, EQ, SQ, and AQ?

Buckle up as we takes on a fascinating journey into the intricate connections between these hormones and 4 quotients across different age groups. Imagine you're a curious 8-year-old with a thirst for knowledge. That's when dopamine, the motivation molecule, comes into play. Every time you conquer a challenging math problem or receive praise for your creativity, dopamine floods your brain, motivating you to pursue more intellectual pursuits. Dopamine is often referred to as the "reward" or "pleasure" hormone. It's like a reward system that supercharges your IQ, making learning a thrilling adventure. Fast forward to your teenage years. Serotonin, the "mood stabilizer",steps into the spotlight, influencing your EQ. As you navigate the emotional rollercoaster of adolescence, serotonin helps regulate your emotions, empathy, and social interactions.

Engaging in activities that boost serotonin levels, like participating in sports or joining supportive communities, enhances your emotional intelligence. Suddenly, you find yourself better equipped to manage your own emotions, understand others, and build meaningful connections. Now, picture yourself in your 20s, facing the challenges of adulthood. This is where endorphins, the natural painkillers and mood boosters, shine, impacting your social intelligence (SQ). Whether you're collaborating on a project at work or playing in a recreational sports league, endorphins surge through your system, fostering resilience and adaptability. They empower you to thrive in social settings, develop teamwork skills, and overcome obstacles with a smile. Your social intelligence blossoms, becoming an invaluable asset in your personal and professional life.

As the years go by, oxytocin, the "bonding hormone", takes the stage. In your 40s, oxytocin shapes your AQ, your response to adversity. During difficult times, when you receive nurturing and

support from loved ones, oxytocin envelops you like a comforting embrace. It strengthens your ability to face challenges head-on, bounce back from setbacks, and develop effective problem-solving skills. You become a resilient force, armed with the power to conquer life's hurdles. But the story doesn't end there. Hormones continue to weave their magic throughout your life's journey. In your 60s and beyond, these hormones play harmonious symphonies, intertwining their effects on your quotients. Dopamine fuels your desire to learn new things, serotonin keeps your emotional well-being in check, endorphins bolster your social connections, and oxytocin empowers you to overcome adversity with grace and wisdom. It's a captivating symphony of hormones that shapes your intelligence, emotional resilience, social acumen, and adaptability, making every age a chapter filled with intrigue and growth.

Remember, while hormones such as serotonin play a pivotal role in influencing our behavior and quotients, they are not the sole determinants. Our thoughts, experiences, and beliefs add unique dimensions to the equation. However, understanding the influence of hormones, such as serotonin, allows us to harness their power in steering our personal growth and development. Take EQ, for example, the remarkable expression of compassion and empathy that benefits both individuals and communities. This empathetic response is intricately linked to the influence of serotonin, a key player in social behavior and mood stabilization. When serotonin is released in optimal amounts, it promotes feelings of happiness, well-being, and connectedness. Serotonin becomes a driving force behind acts of kindness and charitable giving. As individuals encounter stories of need and suffering, our AQ (Adversity Quotient) gets triggered, and serotonin fosters empathy, deep emotional connections, and a sense of purpose. It transforms mere awareness into a catalyst for positive action. The role of serotonin in motivating acts of kindness and charitable giving cannot be overstated. It amplifies the desire to make a difference and drives individuals to contribute to the well-being of others.

By recognizing and appreciating the pivotal role of serotonin in motivating compassion and empathy, we can tap into its power to foster positive change. Understanding the influence of hormones allows us to navigate our emotional responses, cultivate empathy, and engage in acts of kindness that create a ripple effect of goodwill in our communities and beyond. Similarly, our EQ (Emotional Quotient) and SQ (Social Quotient) depend on how dopamine serves as a catalyst for happiness and plays a fundamental role in the process of falling in love. Its influence on our emotions, motivation, and reward system creates a euphoric state and strengthens the bond between individuals.

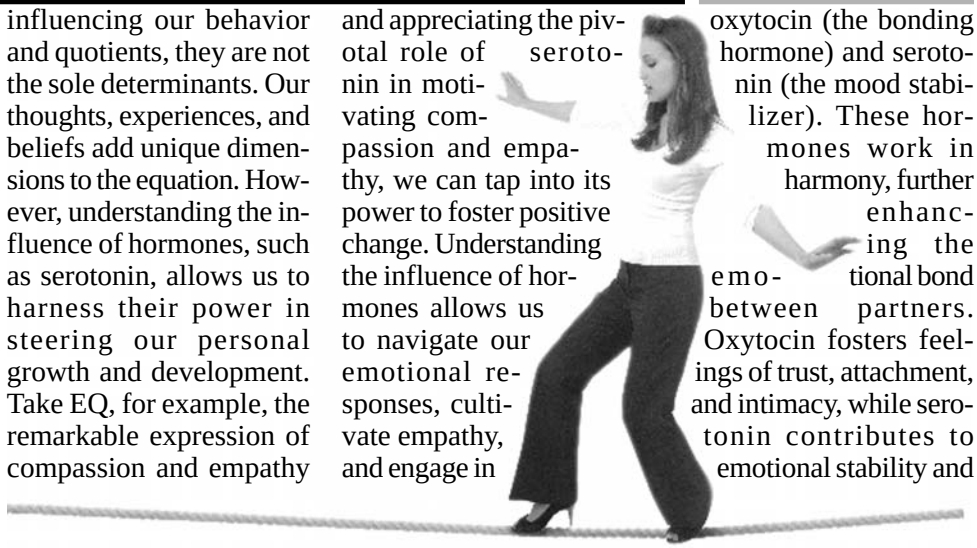

Beyond its role in happiness, dopamine also has a significant impact on motivation, focus, and reward-seeking behavior. When it comes to falling in love, dopamine acts as a driving force, motivating individuals to actively pursue and invest in the relationship. It ignites a desire to connect on a deeper level, learn more about the other person, and create shared experiences that solidify the emotional connection. As the relationship progresses and deepens, the initial rush of dopamine-driven happiness becomes intertwined with other emotions, such as oxytocin (the bonding hormone) and serotonin (the mood stabilizer). These hormones work in harmony, further enhancing the emotional bond between partners. Oxytocin fosters feelings of trust, attachment, and intimacy, while serotonin contributes to emotional stability and contentment within the relationship. It's important to note that the role of dopamine in love is not limited to a specific age range but is especially prominent during the formative years of adulthood when individuals are exploring romantic relationships and discovering their emotional connections. However, the interplay of hormones and emotions in love is complex and multifaceted, with additional factors such as individual experiences, values, and personal growth contributing to the overall dynamics of a romantic relationship.

So, the next time you feel that rush of motivation, a surge of happiness, or a sense of connection or love, and a deep sense of purpose, take a moment to appreciate the hidden orchestrators behind the scenes—dopamine, serotonin, endorphins, and oxytocin. They are the chemical architects shaping your quotients and unraveling the enigma of what makes you who you are.

मुफ्त क्रिप्टो करंसी के लिए आँखें स्कैन करवा रहे हैं लोग

डाटा सुरक्षा और निजता की चिंताओं की परवाह किये बगैर दुनियाभर में लोग अपनी आंखों का स्कैन करवा रहे हैं ताकि डिजिटल आईडी मिल सके। चौटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन ने वर्ल्डकॉइन नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उनका कहना है कि उनका मकसद एक नया 'आइडेंटिटी और फाइनैंशल नेटवर्क' तैयार करना है। वह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा तैयार डिजिटल आईडी के जरिये लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे, जिनमें इंटरनेट पर यह साबित करना भी शामिल है कि वे इंसान हैं, बॉट नहीं। सोमवार को ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और ब्रिटेन, जापान व भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोगों ने यह स्कैन करवाना भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को टोक्यो में एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में आंखें स्कैन करवाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आये। चांदी के रंग के एक विशाल चमकते ग्लोब के सामने खड़े इन लोगों की आंखें एक डिवाइस के जरिये स्कैन की गई, जिसके बाद उन्हें 25 वर्ल्डकॉइन मिले। कंपनी का कहना है कि अपनी पहचान की पुष्टि कराने के बाद ही लोग इस डिजिटल करंसी को पा सकेंगे।

☞ **120 देशों में पहुंचा प्रोजेक्ट :-** वर्ल्डकॉइन का दावा है कि दो साल तक चले ट्रायल पीरियड के दौरान वह 120 देशों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल आईडी जारी कर चुकी है। स्कैन कराने वाले कुछ लोगों ने कहा कि अपनी आंखों के स्कैन से पहले उन्होंने डाटा जमा करने से जुड़ीं चिताओं पर विचार किया था। 33 साल के साएकी सासाकी कहते हैं, ''किसी कंपनी द्वारा आपकी आंखों का डाटा लेने से जुड़े खतरे तो हैं लेकिन मैं तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूं। मैं थोड़ा डरा हुआ था लेकिन अब तो यह हो चुका है और मैं इसे वापस नहीं ले सकता।" डाटा सुरक्षा और निजता अधिकारों के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट को खतरनाक बताते हैं। अमेरिका की एक संस्था इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि वर्ल्डकॉइन का यह प्रोजेक्ट एक निजता के लिए संभावित खतरा है। वर्ल्डकॉइन ने इस संबंध में पूछे गये सवालों के जवाब नहीं दिये। कंपनी की वेबसाइट कहती है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी है और ग्राहक अपने डाटा को डिलीट करने या इन्क्रिप्शन के साथ सेव करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

☞ **मुफ्त क्रिप्टो करंसी :-** लंदन के एक को-वर्किंग ऑफिस में जब वर्ल्डकॉइन के दो प्रतिनिधियों ने कुछ लोगों को दिखाया कि कैसे ऐप डाउनलोड करें और अपनी आंखें स्कैन करें, तब साथ में वे मुफ्त टीशर्ट और स्टिकर भी बांट रहे थे, जिन पर लिखा था: 'वेरिफाइड ह्यूमन'। 34 साल के ग्राफिक डिजाइनर क्रिस्टियान कहते हैं कि वह उत्सुकता की वजह से इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए। हालांकि वह कहते हैं कि क्रिप्टो करंसी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर उनकी उत्सुकता बस मजे के लिए है।

☞ **विकासशील देशों में महंगाई से लड़ने का हथियार बना क्रिप्टो :-** क्रिस्टियान कहते हैं, ''मुझे लगता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा और यह प्रोजेक्ट उस समस्या का बढ़िया हल है।" दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस में वर्ल्डकॉइन की कीमत 2130 अमेरिकी डॉलर के आसपास है और बहुत से लोग सिर्फ मुफ्त करंसी के लिए ही वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 22 साल के अली कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट लोन में से भी कुछ धन क्रिप्टो करंसी में निवेश किया है। वह खुश हैं कि 25 मुफ्त वर्ल्डकॉइन के रूप में उन्हें 70-80 डॉलर मिल सकते हैं। अली बताते हैं, ''मैंने आज सुबह ही अपने भाई को इसके बारे में बताया। मैंने कहा कि मुफ्त में पैसा मिल रहा है, और चाहिए तो वह भी आ सकता है।"

☞ **निजता की परवाह नहीं :-** क्रिस्टियान और अली दोनों ने ही वर्ल्डकॉइन की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ी है, जो कहती है कि डाटा को कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और सरकार को दिया जा सकता है। हालांकि नीति में स्पष्ट किया गया है कि खतरों को कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं। कुछ ऐसा ही भारत के बेंगलुरू में भी हो रहा है। राह चलते लोगों को रोक-रोक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें निजता की परवाह नहीं है। 18 साल के एक छात्र सुजीत ने कहा कि उन्होंने वर्ल्डकॉइन की शर्तें और नियम नहीं पढ़े हैं और डाटा सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। सुजीत अपने जेब खर्च में से कुछ धन क्रिप्टो में निवेश करते रहते हैं। वह कहते हैं, ''मैं गुजर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ मुफ्त कॉइन लोगे। मैंने सोचा, क्यों नहीं।"

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ किसी आपराधिक मामले की सुनवायी के लिए कोई मजिस्ट्रेट के यहां से अगर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है?

किसी आपराधिक मामलों की सुनवाई अगर किसी न्यायिक दंडाधिकारी के यहां चल रहा हो और किसी पक्ष कार को यदि है लगता है कि वह कोर्ट दूसरे पक्ष कार के तरफ से काम कर रहे हैं और प्रथम पक्ष कार की बात को नहीं सुना जा रहा है जिसके वजह से उसे न्याय नहीं मिल पाएगा तो इस संबंध में आप मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां केस्को किसी अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में यह प्रावधान है कि कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी न्यायिक दंडाधिकारी से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410(2) मैं यह प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 की उप धारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और ऐसे मामले को जांच या विचारण स्वयं कर सकता है।

✯ आपराधिक पुनरीक्षण अर्थात क्रिमिनल रिवीजन क्या होता है?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 399 के अंतर्गत कोई सेशन न्यायाधीश व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 401 के अंतर्गत प्रयोग कर सकता है। निम्न आपराधिक न्यायालय से अभिलेख की मांग करने की शक्ति उच्च न्यायालय के साथ-साथ सेशन न्यायालय को भी प्रदत्त की गई है। पुनरीक्षण का आधार तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय के किसी कार्यवाही में आदेश का उद्देश्य अनुचित अनियमित और अवैध रहा है। दंड आदेश के किसी भी त्रुटि को केवल उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग से ही दूर किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 398 के अधीन उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय उनमोचन के सभी मामलों में वह सीआरपीसी की धारा 249 के अंतर्गत या सीआरपीसी की धारा 245 के अंतर्गत अतिरिक्त जांच का आदेश दे सकते हैं। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय सक्षम है उन मोचन के आदेश को खारिज करने के लिए और तथ्यों की अतिरिक्त अन्वेषण करने या साक्ष्य पर पुन: विचार हेतु निर्देश देने के लिए और इस प्रकार अतिरिक्त जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं। लॉ कमीशन ने न्यायालय की पुनरीक्षण करने की शक्तियों में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया है परिणाम स्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं। उदाहरण स्वरुप 1973 के पूर्व उच्च न्यायालय इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर अर्थात अंतर्वेती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण में हस्तक्षेप कर सकता था परंतु इस प्रावधान का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा इसलिए सीआरपीसी की धारा 397 के स्पष्टीकरण (2) मैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को पुनरीक्षण से बाहर रखा गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 एक नवीन धारा है जिसमें उन आधारों का वर्णन है जिस पर न्यायालय पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। कोई पुनरीक्षण वाद व्यथित पक्षकार के आवेदन पर ग्रहण किया जा सकता है और न्यायालय स्वविवेक पर पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही कर सकता है। कोई दूसरा पुनरीक्षण संपोषणीय नहीं है सभी मजिस्ट्रेटों कार्यपालक या न्यायिक के लिए उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय माना जाता है। कोई पक्षकार किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर सकता है परंतु कोई पक्षकार दोनों न्यायालयों में नहीं जा सकता है जब उसने एक न्यायालय का चुनाव कर लिया है।

✯ क्या किसी व्यक्ति से उसको उत्प्रेरित करके या धमकी या किसी प्रकार का वचन देकर किसी अपराध की संस्वीकृति (कन्फेशन) कराई जा सकती है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से उतप्रेरणा ,धमकी या वचन द्वारा किसी अपराध की संस्कृति करवाई गई है तो वह सुसंगत नहीं होगी अर्थात मान्य नहीं होगी। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति दांडीक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में कन्फेशन वह ऐसी उत्प्रेरण धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो किसी सक्षम व्यक्ति की ओर से कराया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त होगी वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे उचित प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाही के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रुप के किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।

✯ क्या किसी अपराधी द्वारा अगर पुलिस के सामने अपना दोष स्वीकार किया गया हो तो इस आधार पर उसको सजा हो सकती है?

अगर किसी अपराधी द्वारा पुलिस अफसर के सामने अपना दोष स्वीकार किया जाता है तो केवल इस आधार पर उसके कन्फेशन को साबित नहीं किया जा सकता है कि उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार पुलिस के सामने कन्फेशन को साबित नहीं किया जा सकता है साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस कस्टडी में रहते हुए कोई कन्फेशन किया हो तो इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि कोई भी कन्फेशन जो किसी व्यक्ति ने उस समय की है जब वह पुलिस अफसर की कस्टडी में है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसका कन्फेशन उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक की उसका कन्फेशन मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो परंतु अगर किसी अपराध के बारे में अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो और उसके कन्फेशन के आधार पर अपराध में इस्तेमाल किए गए कोई वस्तु कोई हथियार या कोई और जानकारी उसके द्वारा बताए गए स्थानों से प्राप्त होती है तो वह प्राप्त जानकारी या वस्तु या हथियार को न्यायालय में साबित किया जा सकता है इस बात की व्यवस्था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में किया गया है।

GSTIN : 10KEPD0123PIZP

उत्तर भारत का COOKIE MAKER, सीवान में पहली बार
आपके लिए लेकर आया है
Cookie का बेहतर श्रृंखला

PRATIK ENTERPRISES

राजपुर (रघुनाथपुर) में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रस्क, बिस्कुट, बर्गर, मीठा ब्रेड, वंद, क्रीम रोल, पेटीज और बर्ड डे केक, पार्टी केक ग्राहकों के मनपसंद तैयार किया जाता है।

शुद्धता एवं स्वाद की 100% गारंटी

किसी भी अवसर पर
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

प्रतीक फुड कंपनी

प्रतीक इंटरप्राइजेज, प्रतीक पतंजलि
राजपुर, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

-: सौजन्य से :-

ब्रजेश कुमार दुबे

Mob.-9065583882, 9801380138

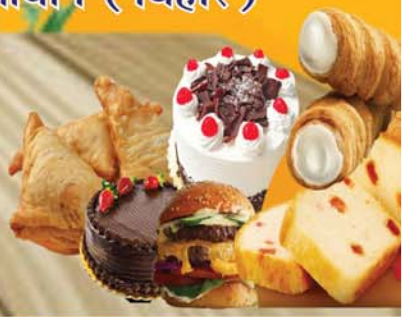

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008